संयुक्तांक
मार्च–अप्रैल 2020

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
बी.एस. जामोद

समन्वय
मध्यप्रदेश माध्यम

परामर्श
प्रद्युम्न शर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क :
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल–462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755–4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

4 ▸ छात्रों से लेकर मजदूर तक सबकी चिंता है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को
8 ▸ कोरोना : विश्वव्यापी महामारी के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार का युद्ध
10 ▸ कोरोना प्रकोप : जरूरतमंदों को राहत पहुँचाती मध्यप्रदेश सरकार
13 ▸ सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लड़ी जा रही मध्यप्रदेश में कोरोना के विरुद्ध जंग
14 ▸ सरकार की सक्रियता और सजगता से नियंत्रण में आया कोरोना
16 ▸ महिलाओं को सशक्त बनाने जीवन शक्ति योजना आई, कोरोना संकट में मास्क पहनने में ही है सभी की भलाई
19 ▸ राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस पर प्रधानमंत्री का सरपंचों के साथ संवाद
22 ▸ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तदबीर से सुधरी बुधा और किशन की तकदीर
25 ▸ स्व–सहायता और स्व–विकास से आर्थिक स्वावलम्बन
26 ▸ मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन उपलब्धियाँ : एक ननजर
27 ▸ मध्यप्रदेश में आर्थिक स्वावलम्बन से समाज परिवर्तन
29 ▸ मध्यप्रदेश आजीविका मिशन सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र
32 ▸ सशक्तिकरण की मिसाल श्रीमती बसु
33 ▸ कोरोना संक्रमण में महिला स्वसहायता समूह बनी वॉरियर
35 ▸ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियाद हैं नर्सें
39 ▸ मुख्यमंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारी का सहयोजन
40 ▸ वर्ष 2020–21 अंतर्गत संशोधित जीपीडीपी पोर्टल पर प्रविष्टि करने बाबत
41 ▸ पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकीय समिति के गठन एवं खातों से राशि आहरण के संबंध में

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का जनवरी–फरवरी संयुक्तांक पढ़ा। पत्रिका में ग्राम पंचायत विकास योजना की संपूर्ण जानकारी प्रकाशित की गई है। इसमें एक उपयोगी पक्ष यह है कि ग्राम पंचायत विकास योजना क्या है और कैसे बनाई जाती है। इसका विस्तार से विवरण दिया गया है। इससे जानकारी मिलने के साथ योजना निर्माण के लिए मार्गदर्शन भी है।

– के.सी. राजपूत
टिमरनी (म.प्र.)

संपादक जी,

पंचायिका के जनवरी–फरवरी संयुक्तांक में हमने यह जाना कि मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में स्वच्छता जन जागरूकता के लिए नया प्रयोग किया गया। 'मध्यप्रदेश लोक चित्रों से स्वच्छता संवाद'। इस नवाचार के माध्यम से जहां ग्रामीण महिलाओं की पेंटिंग कला को मंच मिला वहीं स्वच्छता संदेश का स्थानीय स्तर पर प्रभाव बढ़ा। समाज उपयोगी यह जानकारी प्रेरणादायक है।

– शिवशंकर सिंह कुशवाहा
भोपाल (म.प्र.)

संपादक जी,

पंचायिका के जनवरी–फरवरी अंक में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की जानकारी प्रकाशित की गयी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस पहल के लिये साधुवाद। इन बाल हितैषी पंचायतों के माध्यम से विकास योजना निर्माण में बच्चों के प्रतिनिधित्व से बच्चों के विकास के मुद्दे शामिल होंगे।

– आशीष जैन
सागर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका के पंचायत गजट स्तम्भ में विभागीय आदेश प्रकाशित किये जाते हैं। इन आदेशों के माध्यम से शासकीय स्तर पर कार्यवाही की समुचित जानकारी पाठकों तक पहुंचती है। आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए आपके द्वारा आरक्षण से संबंधित आदेश जारी किया है। यह जानकारी पंचायत स्तर पर मार्गदर्शन के लिए उपयोगी रहेगी।

– दीपक नामदेव
टीकमगढ़ (म.प्र.)

बी.एस. जामोद
संचालक

प्रिय पाठको,

समूचे विश्व के लिये यह संकट का समय है। कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी से संघर्ष चल रहा है। इस आपदा के समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विगत 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही युद्ध स्तर पर कोरोना वायरस (कोविड–19) की समस्या से जूझने के उपाय शुरू कर दिये। मुख्यमंत्री जी ने पद की शपथ उपरांत सीधे मंत्रालय पहुंचकर कोविड–19 से बचाव के लिये कार्य योजना बनाकर धरातल पर कार्य शुरू किये। यहां प्रदेश के किसान, मजदूर, हर गरीब को सहयोग और सहायता के प्रबंध किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में कोविड–19 से बचाने के लिए किस तरह चरणबद्ध योजनाएं बनायी गयीं और उनका कैसे क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस संपूर्ण जानकारी को विभिन्न आलेखों के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्रीजी ने महिलाओं को सशक्त बनाने और कोरोना संकट में मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'जीवन शक्ति योजना' शुरू की है। हम इस योजना की जानकारी को इस अंक में प्रकाशित कर रहे हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अत: मार्च माह में मुख्यत: महिलाओं के विषयों पर केन्द्रित जानकारी को प्रकाशित किया जाता है। मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन द्वारा बनाये गये स्वसहायता समूह की महिलाओं ने आर्थिक क्रांति निर्मित की है। गाँवों के आर्थिक विकास में इन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण, आर्थिक संबल के इस अभूतपूर्व जज्बे पर केन्द्रित रिपोर्ट को हमने महिला सशक्तिकरण स्तंभ में शामिल किया है। आजीविका मिशन के साथ और सहयोग से निर्मित कई स्वसहायता समूहों ने अब फेडरेशन का रूप ले लिया है। इनका टर्न ओवर करोड़ों रुपये तक पहुंच गया है। आर्थिक स्वावलंबन की इस अनूठी गाथा को इस अंक में विशेष रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।

प्रदेश में स्वसहायता समूह की महिलाओं ने जहां आजीविका के कीर्तिमान निर्मित किये वहीं कोविड–19 के संकट के समय में उन्होंने साबुन, सेनेटाइजर, मास्क, पीपीई किट्स के निर्माण में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। इन महिलाओं द्वारा किये जाने वाले विशेष कार्यों पर केन्द्रित आलेख को हमने आजीविका स्तंभ में प्रकाशित किया है।

24 मार्च को राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। इस पर केन्द्रित आलेख राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस स्तंभ में प्रकाशित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस से आगामी पूरा वर्ष नर्स एवं मिडवाइव्स वर्ष के रूप में नर्सों को समर्पित किया है। इस संबंध में आलेख 'ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की बुनियाद हैं नर्सें' प्रकाशित किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी पंचायत गजट में आपके मार्गदर्शन के लिए विभागीय निर्देश प्रकाशित किये गये हैं।

इस अंक में बस इतना ही, उम्मीद है कि पंचायिका का यह अंक आपके लिये उपयोगी और मार्गदर्शक रहेगा। कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(बी.एस. जामोद)
संचालक, पंचायतराज

छात्रों से लेकर मजदूर तक सबकी चिंता है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च की 23 तारीख को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बहुत सादे समारोह से निकल कर वे सीधे राज्य मंत्रालय पहुँचे। मंत्रालय में प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने अपनी मंशा पूरी संकल्पबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरी पहली प्राथमिकता और नैतिक दायित्व है – नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने प्रदेशवासियों को पूरी सुरक्षा। उनकी सोच बहुत स्पष्ट थी कि अभी इंसान की जीवन रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सीधा असर भी हुआ है।

अगली सुबह से ही, या यूं कहें कि उस क्षण से ही समूचा प्रशासन सक्रिय हो गया। प्रदेश के मुखिया के निर्देशों का पालन शुरू हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग को सही मायने में लागू करने के लिए भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगाया गया। डॉक्टरों ने अस्पतालों में मुस्तैदी से मोर्चा सम्हाला। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासनिक व्यूह–रचना बनाई गई। विभिन्न स्तरों पर भिन्न–भिन्न स्तर के अधिकारियों–कर्मचारियों को जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं। जाँच और परीक्षण की व्यवस्थाओं को चाक–चौबंद किया गया। साधनों–संसाधनों को जुटाने और बढ़ाने की हर संभव कोशिशें की गईं जिसके अच्छे नतीजे सामने आये। आम–आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति के लिए यथोचित फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री स्वयं रोज स्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं। वे स्वयं अपनी डायरी में आवश्यक जानकारियाँ लिख रहे हैं और क्रॉस चैक भी कर रहे हैं। अन्य राज्यों से, प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले और चिन्हित हॉट स्पाट में आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण किया गया।

संभावितों का स्वास्थ्य परीक्षण, सैम्पल्स लेने, जाँच के लिए भेजने, संक्रमितों के इलाज, आशंका होने पर क्वेरेंटाइन किये जाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। विदेशों से बड़ी संख्या में आने वाले व्यक्तियों की सूचियां भी तैयार की गईं।

इन प्रभावकारी कदमों के बीच, लगातार 16–18 घंटे की मेहनत और तमाम व्यस्तताओं के बीच मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नि:संदेह 'वन मैन आर्मी' की तरह कार्यवाही कर रहे हैं। संकट के इन गहन क्षणों के दौर में भी मुख्यमंत्री

श्री चौहान घरों से दूर रहने वाले छात्र–छात्राओं, मजदूरी करने वाले श्रमिकों, देश के अन्य राज्यों में पेट पालने के लिए गये मजदूरों–कामगारों और अपनी छोटी–छोटी समस्याओं के लिए परेशान होने वाले सामान्य लोगों को भी भूले नहीं। उनका मानना था कि छोटे वर्गों और तबकों के लोगों की चिंता भी उन्हें ही करनी है।

संकट के इस समय में निरंतर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की यह संवेदनशील सोच और मानवीय पक्ष उजागर हो रहा है।

प्रदेशवासियों की चिंता

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 मार्च को कहा कि मध्यप्रदेश के 1,18,000 निवासी, जो दूसरे राज्यों में गये थे तथा अभी वहाँ हैं, उनके रुकने एवं खान–पान की व्यवस्था जहाँ है, वहीं की जायेगी। इसके लिये उन्होंने राज्य सरकार उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से चर्चा भी की। यदि वे लोग मध्यप्रदेश की सीमा के आने वाले लोगों को सावधानीपूर्वक यथाशीघ्र प्रदेश में सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाएगा।

बेघर और बेसहारा के लिये खाद्यान्न व्यवस्था

राज्य शासन ने लॉकडाउन अवधि में निवास से अन्यत्र रुके लोगों और बेघर तथा बेसहारा व्यक्तियों के भोजन के लिये खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की। जिलों को प्रारंभिक रूप से 2000 क्विंटल खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का आवंटन जारी किया गया।

जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि आवंटित मात्रा में से ही जैसे ही 50 प्रतिशत मात्रा का उपयोग हो जाए, अतिरिक्त आवंटन की मांग तत्काल करें।

प्रवासी श्रमिकों की मदद

अन्य प्रदेशों में काम करने वाले प्रदेश के 05 लाख 70 हजार से अधिक प्रवासी श्रमिक वापस प्रदेश में आये हैं। इसी प्रकार प्रदेश में आये अन्य 22 राज्यों के सात हजार श्रमिकों को 70 लाख रुपये की सहायता दी

श्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च की 23 तारीख को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बहुत सादे समारोह से निकल कर वे सीधे राज्य मंत्रालय पहुँचे। मंत्रालय में प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने अपनी मंशा पूरी संकल्पबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरी पहली प्राथमिकता और नैतिक दायित्व है – नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने प्रदेशवासियों को पूरी सुरक्षा। उनकी सोच बहुत स्पष्ट थी कि अभी इंसान की जीवन रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सीधा असर भी हुआ है।

गई है। श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् करीब 15,000 व्यक्ति विभिन्न जिलों में कैंपों में आइसोलेट किये गये हैं। प्रदेश में अन्य प्रदेशों से लौटे श्रमिकों की टेस्टिंग कराई गई है और सुखद बात यह है कि इनमें से एक भी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है।

इन सभी के लिए 2792 स्थानों पर रुकने की और 4671 स्थानों पर भोजन आदि की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में लगभग 10,000 भोजन सामग्री के वितरण केन्द्र बनाये गये हैं। प्रतिदिन 5 लाख 50 हजार से अधिक व्यक्तियों को पके हुए भोजन के पैकेट्स और 50 से 70 हजार लोगों को भोजन सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रदेश के सभी जिलों में प्रवासी श्रमिकों, गरीबों, असहायों, निराश्रितों आदि के लिए भोजन पैकेट्स बनाकर वितरण करने में सामाजिक संस्थाओं का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है।

निर्माण श्रमिकों के खातों में 88 करोड़

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 मार्च यहाँ मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खातों में कुल 88 करोड़ 50 लाख 89 हजार रुपए की आपदा राशि ट्रांसफर की। इससे 8 लाख 85 हजार से ज्यादा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से प्रत्येक को एक हजार रुपये प्राप्त होंगे।

52 लाख विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति योजनाओं के 430 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 मार्च को प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में कक्षा एक से कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत 52 लाख विद्यार्थियों के खातों में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की 430 करोड़ से अधिक राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दिये गये हैं।

हितग्राहियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये 589 करोड़

कोरोना संकट के मौजूदा दौर में एक बड़ी राहत के रूप में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के बैंक खाते में कुल 589 करोड़ 3 लाख 8 हजार रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इ सी तरह मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में 66 लाख 27 हजार विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में 117 करोड़ रुपए की राशि अभिभावकों के खाते में अंतरित की गई।

मध्याह्न भोजन बनाने वाले 2 लाख 10 हजार 154 से ज्यादा रसोइयों के खाते में दो हजार रुपये प्रति रसोइये के मान से कुल राशि 42 करोड़ 3 लाख 8 हजार रुपये अंतरित की गई है।

प्रदेश की प्राथमिक शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या 40 लाख 29 हजार 468 विद्यार्थियों को 148 रुपये प्रति विद्यार्थी के मान से मध्याह्न भोजन की राशि दी गई है।

पेंशनरों के खातों में भी
562 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 अप्रैल को विभिन्न पेंशन योजनाओं की दो माह की 562 करोड़ रुपए की राशि पेंशनरों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। इससे 46 लाख 86 हजार 173 पेंशनर्स लाभान्वित हुए।

इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 15 लाख 69 हजार 627, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 5 लाख 36 हजार 412, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के 99 हजार 924, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के 57 हजार 790, मानसिक बहु–निशक्तजनों को को आर्थिक सहायता योजना के 75 हजार 514 तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 23 लाख 46 हजार 906 पेंशनर्स शामिल हैं।

बिना पात्रता पर्ची वालों
को भी नि:शुल्क राशन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर कोरोना संकट के चलते प्रदेश के 32 लाख ऐसे व्यक्तियों को भी नि:शुल्क राशन प्रदाय किया जाएगा, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चियाँ नहीं हैं। इन्हें एक माह का नि:शुल्क उचित मूल्य राशन राज्य सरकार के कोटे से प्रदाय किया जाएगा। राशन के अंतर्गत इन्हें चार किलो गेहूँ एवं एक किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रदान किया जायेगा। प्रदेश के इन 8 लाख 9 हजार परिवारों के करीब 31 लाख 82 हजार सदस्यों के लिए राज्य स्तर से 12 हजार 726 मीट्रिक टन गेहूँ तथा 3 हजार 181 मीट्रिक टन चावल का कोटा जारी किया जा चुका है। बिना पात्रता पर्ची वाले सभी व्यक्ति सुविधानुसार अपने आस–पास की किसी भी उचित मूल्य दुकान से यह राशन प्राप्त कर सकेंगे।

अन्य राज्यों में रुके मजदूरों को
एक–एक हजार रुपये

अब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार लॉकडाउन के कारण 18 राज्यों में फँसे प्रदेश के एक लाख 14 हजार मजदूरों को उनके रुकने एवं भोजन व्यवस्था के लिए उनके खातों में एक–एक हजार रुपये जमा कराये जायेंगे। इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें और अधिक राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के कारण उनके प्रदेश में रुके मध्यप्रदेश के मजदूरों के रुकने एवं राशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की है। प्रदेश के सांसदों और विधायकों से उनके क्षेत्र के ऐसे प्रभावित मजदूरों की सूची शीघ्र भेजने के लिए कहा गया है। जैसे–जैसे सूची आती जायेगी, यह राशि उन मजदूरों के खातों में हस्तांतरित कर दी जायेगी।

मजदूरों को राशन

प्रदेश में फसल कटाई के बाद मजदूरों के पास काम समाप्त हो चुका है। कलेक्टरों को ऐसे मजदूरों के रुकने एवं राशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। ऐसे मजदूरों की व्यवस्था के लिए जन–प्रतिनिधियों से भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की है।

राशनकार्ड धारियों को
2 माह का फ्री राशन

प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को इस

माह से दो माह के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन नि:शुल्क दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें एक किलो दाल और गेहूँ–चावल दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर लॉकडाउन के कारण मध्यप्रदेश में फंसे 22 राज्यों के 7 हजार प्रवासी श्रमिकों के भोजन, आवास आदि की सारी व्यवस्था मध्यप्रदेश सरकार कर रही है। मध्यप्रदेश के ऐसे 245 निर्माण श्रमिक, जिनका पंजीयन नहीं हुआ हैं, उन्हें भी एक–एक हजार रुपए की राशि अंतरित की गई है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर राज्य शासन ने कोरोना महामारी के कारण देशभर में लॉकडाउन की स्थिति में अन्य राज्यों में रुके मध्यप्रदेशवासियों की बुनियादी सुविधाओं संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों को अलग–अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। संबंधित अधिकारी आवंटित राज्यों में मध्यप्रदेश के रुके हुए नागरिकों की भोजन–आश्रय आदि की उपलब्धता के संबंध में प्राप्त शिकायतों को टेलीफोन के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण/आवासीय आयुक्त अथवा जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा कर निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री जी की पहल पर प्रदेश में राज्य–स्तरीय कोरोना रूम स्थापित करने केय आदेश के बाद महज दो दिन में नगरीय प्रशासन के लगभग 450 कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन, भोपाल के इंट्रीगेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को इसका बिन्दु बनाया गया। इस नियंत्रण कक्ष को यह दायित्व दिया गया है कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली नागरिकों और प्रवासियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का पंजीयन करेंगे और प्रादेशिक अधिकारियों के साथ–साथ संबंधित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों और आवासीय आयुक्तों से सम्पर्क स्थापित कर समस्याओं का निराकरण करेंगे। राज्य शासन के माध्यम से मीडिया में सीएम हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नम्बर प्रचारित किया गया।

समस्त प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को अर्द्ध–शासकीय पत्र केा माध्यम से प्रवासी मध्यप्रदेश के निवासियों को भोजन, राशन, चिकित्सा, आवास आदि की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही, उनके प्रदेश के मध्यप्रदेश में फंसे हुए ऐसे निवासियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया गया।

पिछले 21–22 दिनों में प्रतिदिन 17000 व्यक्तियों द्वारा सम्पर्क किया गया तथा 1 लाख 18 हजार मध्यप्रदेश के ऐसे निवासी जो अन्य राज्यों में हैं उनसे संपर्क कर समस्त सुविधाएँ राज्य–स्तरीय कंट्रोल सेंटर के माध्यम से राज्य के नौ वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों द्वारा कराई गई। अन्य प्रदेशों के लगभग 12000 नागरिकों को प्रदेश में समस्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। मध्यप्रदेश के नागरिक तथा प्रवासी अन्य राज्यों के नागरिक जो अपने निवास स्थान पर नहीं हैं, उनको लगभग 5 लाख 80 हजार भोजन पैकेट शासन की विभिन्न संस्थाओं तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जनसंपर्क विभाग से साभार

कोरोना : विश्वव्यापी महामारी के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार का युद्ध

कोरोना महामारी का प्रकोप विश्व व्यापी है। हमें इससे डरना नहीं है लड़ना है। वर्ष 2020 के मार्च माह की 23 तारीख वह दिन है जब मध्यप्रदेश में कोरोना के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान किया गया। इस दिन से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर मोर्चे पर मध्यप्रदेश सरकार ने काम करना शुरू किया। लोगों की हिम्मत बढ़े और सहयोग के साथ महामारी की रोकथाम के लिये वे सजग, सतर्क और सावधान हों, इस दिशा में एक लक्ष्य के साथ मौजूदा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने काम करना शुरू किया।

कोरोना की रोकथाम के लिये शुरू हुआ युद्ध

23 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक योद्धा की तरह कोरोना के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले उन तैयारियों की जानकारी ली, जो महामारी की रोकथाम के लिये जरूरी हैं। इस महामारी की व्यापकता की तुलना में सुविधाएँ और उपलब्धियाँ बहुत कम हैं। पिछले 28 दिनों में लगातार किये गये प्रयासों के बाद हमारी चिकित्सा प्रणाली इस संक्रमण के खिलाफ न केवल पहले से अधिक मजबूत हुई बल्कि संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने में सक्षम बनी। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिये सबसे ज्यादा जरूरी था कि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों का अधिक से अधिक परीक्षण हो, उन्हें इलाज मिले। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 23 मार्च को प्रदेश का नेतृत्व संभालते ही इस दिशा में निर्देश दिये। आज प्रदेश की 9 प्रयोगशालाओं में कोरोना प्रभावितों और संदिग्धों के परीक्षण किये जा रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में 5 हजार 120 नमूने लिये गये हैं, जिनमें से 1000 नमूनों को परीक्षण के लिये दिल्ली भेजा गया है। रोज की जाने वाली जाँच में भी बढ़ोत्तरी हुई है। लगभग 1050 परीक्षण प्रतिदिन किये जा रहे हैं। अन्य प्रयोगशालाओं को भी शुरू किया जा रहा है।

परीक्षण किट की निरंतर आपूर्ति

कोरोना रोकथाम के लिये यह जरूरी है कि अधिक से अधिक लोगों का परीक्षण हो जिससे संक्रमण का पता लगाया जा सके। मध्यप्रदेश में परीक्षण उपकरण 22 हजार 520 आरटीपीसीआर और 14 हजार 200 मेनुअल आरएनए हैं। पीपीई किट लगभग एक लाख से अधिक हैं। इनमें से 2500 किट प्रतिदिन वितरित की जा रही हैं। प्रदेश में आज की स्थिति में एन–95 मास्क की उपलब्धता 1.77 लाख है जिसमें से अब तक एक लाख 50 हजार मास्क वितरित किये गये हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की गोलियों की उपलब्धता 33 लाख से अधिक है। साथ ही 2 हजार 776 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। आइसोलेशन बेड़ की संख्या 29 हजार 350 है और 690 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। लगभग 840 आईसीयू बेड़ चिह्नित किये गये हैं। इन सभी की आवश्यकता का अनुमान लगाकर संख्या बढ़ाई जा रही है।

डोर टू डोर सर्वे

सबसे महत्वपूर्ण है सर्वे सेम्पलिंग फॉलोअप एवं पॉजिटिव केस की जानकारी। शासन ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है जिससे कोरोना की रोकथाम के लिये सुनियोजित रणनीति बनाई जा सके। इसके लिये कोरोना वॉरियर्स सार्थक एप के माध्यम

से घर–घर जाकर सर्वे का काम कर रहे हैं। नमूने ले रहे हैं और फॉलोअप भी कर रहे हैं। जो केस पॉजिटिव हैं उनके रजिस्ट्रेशन का भी काम किया जा रहा है। एप का उपयोग कर सम्पर्क की जानकारी ली जा रही है जो ट्रेसिंग में लाभदायक होती है। संदिग्धों के लक्षणों को नियमित रूप से मॉनिटर किया जा रहा है।

सामान्य या गंभीर लक्षणों की जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति की जानकारी सेम्पल कलेक्शन लिस्ट में भेज दी जाती है। जिला टीम उस व्यक्ति का सेंपल प्राप्त कर लेती है।

कंट्रोल रूम स्थापित

मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना महामारी को रोकने के लिये राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मात्र 2 दिन में नगरीय प्रशासन के लगभग 450 कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन भोपाल के इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में पदस्थ किया गया है।

नियंत्रण कक्ष का यह दायित्व है कि वह विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली नागरिकों और प्रवासियों की विभिन्न समस्याओं का पंजीयन किया जाये और प्रदेश के संबंधित अधिकारियों के साथ–साथ राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों, कलेक्टरों और आवासीय आयुक्तों से सम्पर्क स्थापित कर समस्याओं का निराकरण किया जाये। सीएम हेल्पलाइन और इसके लिये बनाए गए व्हाट्सएप नंबर को भी प्रचारित किया गया है ताकि नागरिक और प्रवासीय इसका उपयोग कर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकें।

पीपीई किट के निर्माण में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

पीपीई किट की उपलब्धता बढ़ाने के लिये और निर्भरता कम करने के लिये इसका निर्माण प्रदेश में ही शुरू करने का निर्णय लिया गया। वस्त्र उद्योग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक प्रतिभा सिंटेक्स को पीपीई किट उत्पादन के लिये चुना गया। साथ ही इनोवेटिव, एप्कोन एवं ट्रेंड्स अप्रेजल

कंपनी को भी जोड़ा गया। इन कंपनियों से निर्मित पीपीई किट का प्रोटोटाइप सेंपल एक डॉक्टर्स के लिये और दूसरा पेरामेडिकल स्टाफ के लिये निर्मित किया गया था उसे टेस्टिंग के लिये डीआरडीओ ग्वालियर भेजा गया जिसमें दोनों ही प्रकार के किट सेंपल सही पाये गये। पीपीई किट का उत्पादन 28 मार्च के बाद से अब तक 7 से 8 हजार की संख्या तक पहुँच गया है। आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश 10,000 किट प्रतिदिन बनाने की स्थिति में होगा। इन प्रयासों के बाद मध्यप्रदेश में संक्रमित मरीजों के उपचार में लगे डॉक्टर्स, पेरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मी तथा अन्य व्यवस्थाओं में लगे शासकीय कर्मियों के लिये पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स उपलब्ध हैं और इनकी उपलब्धता में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

आयुष चिकित्सा पद्धति से इलाज की व्यवस्था

मध्यप्रदेश में भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार कोरोना के प्रभाव से मुक्त बनाने के लिये लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिये भी कदम उठाए गए हैं। अप्रैल माह में आयुष विभाग के 1964 दलों द्वारा होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक दवा एवं काढ़े का डोर टू डोर वितरण किया जा रहा है।

इन दलों में आयुष चिकित्सा, पेरामेडिकल और आयुष के चिकित्सा छात्र शामिल हैं। दिनांक 16 अप्रैल तक 39 लाख 57 हजार परिवारों के 96 लाख 95 हजार लोगों को रोग प्रतिरोधक औषधियों का वितरण किया जा रहा है। इनमें 34 लाख 68 हजार शहरी क्षेत्र के लाभार्थी हैं और 62 लाख 27 हजार लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं। आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण 48 लाख 63 हजार नागरिकों को, होम्योपैथी दवा का 45 लाख 11 हजार नागरिकों को और करीब सवा 3 लाख नागरिकों को यूनानी दवा का वितरण किया गया है। दवा वितरण का यह कार्य निरंतर है। आने वाले समय में प्रदेश के 1 करोड़ परिवारों को त्रिकूट काढ़ा (चूर्ण) नि:शुल्क करने की योजना है। जो व्यक्ति क्वारेंटाइन या आइसोलेशन स्टेज में है इन सभी को त्रिकूट के साथ भूआम्ल की चूर्ण और गिलोय का काढ़ा बनाकर पिलाने से संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

जनसंपर्क विभाग से साभार

कोरोना प्रकोप : जरूरतमंदों को राहत पहुँचाती मध्यप्रदेश सरकार

कोरोना महामारी के संकट से निपटने के साथ ही जरूरतमंदों को राहत पहुँचाने के लिए भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने जो मुस्तैदी दिखाई है उसने लोगों में कोरोना के विरुद्ध युद्ध में लड़ने की न केवल क्षमता विकसित की है बल्कि उनके हौसले भी बुलंद हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के संक्रमण की रोकथाम और लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों की वजह से प्रभावित और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुँचाने के दोनों अहम मोर्चों पर अपने एक माह से भी कम के कार्यकाल में बराबरी के साथ चाक–चौबंद व्यवस्था की है।

इससे जहाँ एक ओर संक्रमण को फैलने से रोका जा सका, वहीं किसान, मजदूर, छात्र और बाहर के क्षेत्रों में रह रहे मध्यप्रदेश के रहवासियों के लिए राहत के बड़े ऐलान किए जिससे इस विभीषिका से लड़ने की लोगों में हिम्मत आई और अब वे महामारी से उत्पन्न संकट से उबरने भी लगे हैं। यह वह समय है जब अन्नदाता किसानों की फसलें खेतों–खलिहानों में पड़ी है। उनकी उपज की खरीदी हो। महामारी के इस दौर में किसानों को उनकी मेहनत का, उनकी उपज का दाम मिले, इसकी व्यवस्था एक चुनौती है। मुख्यमंत्री ने इस मोर्चे पर ऐसी व्यवस्थाएँ की हैं, जिससे किसानों की उपज की खरीदी हो और उन्हें उसका भुगतान भी मिले। कृषि उपज मंडियों में भीड़ न हो इसलिए निजी खरीदी केन्द्र भी शुरू किए गए हैं। खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिये भी पर्याप्त स्थान इस तरह निर्धारित

किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और किसान कोरोना के संक्रमण से बच सके। निजी खरीदी केन्द्र के लिये कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था अथवा प्र–संस्करण कर्ता संबंधित मंडी से 500 रुपये देकर अनुमति ले सकता है। यदि कोई मंडी का लायसेंसी है तो उसे अलग से प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को यह भी सुविधा दी गई है कि अगर वे अपनी फसल मंडी में नहीं ला सकते तो वे उपज का नमूना मंडी में लाकर उसके आधार पर घोष विक्रय करा सके। किसान अगर चाहे तो वे व्यापारी के साथ आपसी सहमति से मंडी के बाहर भी उपज का क्रय–विक्रय कर सकते हैं।

इसका रिकॉर्ड कृषि उपज मंडी द्वारा संधारित किया जायेगा और व्यापारी द्वारा किसान को भुगतान करने के बाद उपज का परिवहन किया जायेगा। किसानों को ऑनलाइन उपज बेचने का भी विकल्प दिया गया है। ई–नाम पोर्टल पर किसान अपना पंजीयन कराकर उपज की फोटो और गुणवत्ता की जानकारी अपलोड करेंगे तो उनकी उपज का क्रय किया जा सकेगा। इसके अलावा किसान रजिस्टर्ड एफपीओ के माध्यम से भी अपनी उपज की जानकारी भेजकर विक्रय कर सकते हैं। किसानों को अपनी उपज बेचने का एक ओर माध्यम सरकार ने उपलब्ध कराया है वह है किसान सेवा सहकारी समिति। इसके लिये मार्कफेड एग्री बाजार मॉडल तैयार किया गया है।

शून्य प्रतिशत ब्याज पर फिर मिलेगा किसानों को ऋण

किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की सुविधा दी जायेगी। पूर्व सरकार द्वारा इसे बन्द करने पर विचार किया जा रहा था। पूर्व वर्षों में संचालित इस फसल ऋण योजना को 2020–2021 में भी जारी रखा जायेगा। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वर्ष 2018–19 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर जिन किसानों ने ऋण लिया था उनके भुगतान की तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दी गई है।

राहत के कदम

कोरोना महामारी के संकंट के इस दौर में हर जरूरतमंद को राहत देने के लिये सरकार की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। राज्य के गरीब परिवारों को एक माह का राशन नि:शुल्क दिया जा रहा है। सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के परिवारों

को दी जाने वाली सहायता राशि 2 माह एडवांस में दी गई है। मकान मालिकों से कहा गया है कि वे फिलहाल किरायेदारों से किराया न लें। फैक्ट्री श्रमिकों को भी वेतन और मानदेय देने के निर्देश दिये गये हैं। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खातों में 88 करोड़ 50 लाख 89 हजार रुपये की आपदा राशि ट्रांसफर की गई। इससे 8 लाख 85 हजार 89 श्रमिकों को एक–एक हजार रुपये मिले। शासकीय और अशासकीय शालाओं में कक्षा एक से कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत 52 लाख विद्यार्थियों के खातों में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की 430 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। मध्यान्ह भोजन योजना में 66 लाख 27 हजार विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में 117 करोड़ रुपये की राशि उनके अभिभावकों के खातों में अंतरित की गई। प्राथमिक शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या 40 लाख 29 हजार 464 है। इन विद्यार्थियों को 148 रुपये प्रति विद्यार्थी के मान से भोजन की राशि दी गई। इसी तरह माध्यमिक शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों की कुल संख्या 25 लाख 98 हजार 497 है, जिन्हें 221 रुपये प्रति विद्यार्थी के मान से राशि दी गई। समेकित छात्रवृत्ति योजना में प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थियों के खातों में 430 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई गई। मध्यान्ह भोजन योजना में 2 लाख 10 हजार 154 रसोइयों को उनके मानदेय की कुल राशि 42 करोड़ 3 लाख 8 हजार रुपये प्रति रसोइया 2000 हजार के मान से उनके खातों में जमा कराई गई।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने जो मुस्तैदी दिखाई है उसने लोगों में कोरोना के विरुद्ध युद्ध में लड़ने की न केवल क्षमता विकसित की है बल्कि उनके हौसले भी बुलंद हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के संक्रमण की रोकथाम और लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों की वजह से प्रभावित और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुँचाने के दोनों अहम मोर्चों पर अपने एक माह से भी कम के कार्यकाल में बराबरी के साथ चाक–चौबंद व्यवस्था की है। इससे जहाँ एक ओर संक्रमण को फैलने से रोका जा सका, वहीं किसान, मजदूर, छात्र और बाहर के क्षेत्रों में रह रहे मध्यप्रदेश के रहवासियों के लिए राहत के बड़े ऐलान किए जिससे इस विभीषिका से लड़ने की लोगों में हिम्मत आई और अब वे महामारी से उत्पन्न संकट से उबरने भी लगे हैं।

कमजोर वर्गों को राहत

कोरोना महामारी के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्थित स्कूल फरवरी में ही बंद हो गए थे। इन्हीं स्कूलों में पदस्थ अतिथि शिक्षकों के वेतन का भुगतान अप्रैल माह तक कर दिया गया है।

कुपोषण से मुक्ति के लिये आहार अनुदान योजना में प्रतिमाह एक हजार रुपये के मान से 2 महीने का अग्रिम भुगतान किया गया है। यह राशि विशेष पिछड़ी जनजाति की विवाहित महिलाओं के खाते में भेजी गई है। आने वाले प्रवासी लोगों को क्वारेंटाइन करने के सभी आवासीय स्कूल और छात्रावास भवन लिये खोले गये हैं। लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फँसे प्रदेश के मजदूरों के खाते में भी एक हजार रुपये ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है।

22 राज्यों के 7 हजार प्रवासी श्रमिकों को दी राहत

मध्यप्रदेश में लॉकडाउन के कारण 22 राज्यों के 7000 प्रवासी श्रमिक फँसे हुए हैं। सरकार ने इनकी भी चिंता की और 70 लाख रुपये की सहायता राशि उनके खातों में जमा करवाई। इन सभी प्रवासी

श्रमिकों के खातों में एक–एक हजार रुपये की राशि उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भिजवाई गई। अन्य प्रदेशों के लगभग 12 हजार नागरिकों को सभी सुविधाएँ दी गई हैं।

अन्य राज्यों में फँसे
मध्यप्रदेश के लोगों की भी चिंता

लॉकडाउन के कारण मध्यप्रदेश के जो लोग विभिन्न राज्यों में हैं और फिलहाल प्रदेश में नहीं आ सकते उनको भी मदद देने की पहल सरकार ने की है। पिछले 28 दिनों में 17 हजार से अधिक बाहर के प्रदेशों में रह रहे लोगों द्वारा सम्पर्क किया गया। एक लाख 18 हजार मध्यप्रदेश के अन्य राज्यों में रह रहे लोगों से सम्पर्क उन्हें सभी सुविधाएँ राज्य स्तरीय कंट्रोल सेंटर के माध्यम से राज्य के 9 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाई गईं।

10 हजार रुपये सेवा निधि

कोरोना योद्धाओं, जो लोगों को बचाने के लिये अपनी जान जोखिम में डालकर मैदान में हैं, की चिंता करते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके समर्पण, निष्ठा और अनूठी सेवा के लिये 10 हजार रुपये की राशि सेवा निधि के रूप में दी जायेगी। इनमें डॉक्टर, नर्स, वार्डबॉय और वे सभी कर्मचारी शामिल हैं, जो संक्रमित मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। यह कोरोना वॉरियर्स को मध्यप्रदेश की जनता की ओर से सम्मान है।

अनहोनी पर कोरोना
योद्धाओं को 50 लाख

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिये 50 लाख रुपये तक का बीमा करने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर स्वास्थ्य विभाग के अलावा भी कोरोना संकट से लड़ने वाले सरकारी अमले को किसी अनहोनी होने पर 50 लाख रुपये की राशि देने का प्रावधान किया है। इसमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्डबॉय, आशा कार्यकर्ता, पेरामेडिकल स्टाफ, टेकनीशियन, डॉक्टर्स, विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं नगरीय प्रशासन के सभी सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की लड़ाई में सीधे रूप से लगे निजी चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों का भी शासकीय चिकित्सा कर्मियों की तरह 50 लाख रुपये का बीमा कराया जायेगा। प्रदेश के लगभग एक लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को भी मुख्यमंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ दिया जायेगा।

लघु वनोपज श्रमिकों को भी राहत

सरकार ने निर्णय लिया है कि लघु वनोपज उत्पादों को खरीदने का कार्य 25 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिये लघु उपज उत्पादों की प्राथमिक दरों के स्थान पर नई प्रस्तावित दर जारी की गई है। प्रत्येक संग्रहण एवं भण्डारण केन्द्र और गोदाम पर आवश्यक रूप से सेनेटाईजर और साबुन रखा जायेगा।

यहाँ सभी संबंधित को आने और जाने के समय पर 20 सेकेंड तक हाथ धोकर सेनेटाइज करना जरूरी है। वनोपज के संग्रहण आदि कार्यों में संलग्न कर्मचारी क्रेता और प्रतिनिधि, श्रमिक और ग्रामीण अनिवार्य रूप से चेहरे का मास्क, गमछा, रूमाल, दुपट्टे आदि से ढँक कर रखेंगे।

खदानों की रॉयल्टी का
कोरोना की रोकथाम में उपयोग

वर्तमान में खदानों की रॉयल्टी से अर्जित निधि का उपयोग स्थानीय विकास में किया जाता है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय लिया है कि इस निधि का उपयोग कोरोना की रोकथाम में किया जाये। उन्होंने 8 करोड़ रुपये से अधिक के ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी भी है।

जनसंपर्क विभाग से साभार

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लड़ी जा रही मध्यप्रदेश में कोरोना के विरुद्ध जंग

सूचना प्रौद्योगिकी को विगत दशक की सबसे प्रमुख प्रौद्योगिकी के रूप में माना जाता है और देश–प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोरोना के कारण जब राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन का सामना करना पड़ा उस समय भी मध्यप्रदेश सरकार का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं रुका क्योंकि आईटी का प्रयोग कर संचालित किया गया।

कोरोना के कारण जरूरी सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर शेष सारे सरकारी दफ्तर बंद हो गए, यहाँ तक कि मंत्रालय भी। ऐसे में आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं तेजी से लागू करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गयी। सूचना प्रौद्योगिकी ने जिस तरह बहुआयामी भूमिका निभाते हुए मध्यप्रदेश के लोगों को कोरोना के खिलाफ युद्ध में एकजुट किया, वह काबिले तारीफ है। प्रदेश के सभी वर्गों तक कोरोना से संबंधित आवश्यक जानकारी पहुँचाने, उन्हें जागरूक करने, उन तक आवश्यक मदद पहुंचाने, प्रशासकीय व्यवस्थाओं को चुस्त–दुरुस्त रखने, आवश्यक निर्णय लेने के लिए दूरस्थ अधिकारियों से बैठक करने, स्वास्थ्य, राशन, दवाइयों की उपलब्धता तथा अन्य जानकारी अद्यतन करने, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सामग्री का लेखा–जोखा रखने, विशेषज्ञों से चर्चा करने, गरीब परिवारों तक राशन तथा नगद राशि के भुगतान संबंधी कार्यों में कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी ने मदद की तथा मध्यप्रदेश शासन ने इसे बेहतर ढंग से उपयोग किया।

कोरोना से इस जंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य विभाग की थी। प्रदेश के बड़े शहरों से लेकर छोटे सुदूर जिलों तथा तहसील स्तर तक के अस्पतालों में

आइसोलेशन वार्ड तैयार करने, बिस्तरों को आरक्षित करने, वेंटिलेटर की स्थिति को आंकने, दवाइयों की उपलब्धता, आक्सीजन सिलेडरों की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित व्यक्तियों का प्रशिक्षण इत्यादि सभी कार्यों में आईटी सेवाओं की मदद ली गई तथा डाटाबेस को व्यवस्थित किया गया ताकि आवश्यकता होने पर तत्काल मदद दी जा सके। कोरोना से मध्यप्रदेश की जंग में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवाओं जैसे जूम, स्काइप आदि का प्रयोग कर दूर गांवों के स्वास्थ्य अमले को कोरोना के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉनीटरिंग कर स्वास्थ्य अमले को कोरोना से जंग में मदद के लिये विस्तृत मार्गदर्शिका भी तैयार की गई है।

नेशनल इंफार्मेटिक्स सेन्टर (NIC) की वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवाओं का उपयोग कर हर जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की ठोस रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेंजमेंट ग्रुप काम कर रहे हैं। ये ग्रुप दूरस्थ बैठे अपने अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रोज बैठक कर अगले 24 घंटे की पुख्ता रणनीति बनाते हैं।

कोरोना के संदिग्धों की तलाश करना और उन तक पहुंचना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। विदेश या अन्य प्रदेशों से आने वालों के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाने के साथ ही उनके सेहत की पड़ताल बहुत अहम है। ऐसे में 'कोविड–19 एक्टिव सर्विलांस टीम की भूमिका बेहद खास है। इस टीम में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई कुशल कम्प्यूटर आपरेटर लगे हैं। इस टीम ने शुरुआती दिनों में ही दिन–रात मेहनत कर विदेश व बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को चिह्नित किया। टीम के कार्य का मुख्य फोकस यही है कि प्रदेश में कोई भी कोरोना के सम्भावित मरीज छूटे नहीं। COVID पोर्टल हर जिले को सर्वेक्षण डाटा का एक्सेस उपलब्ध कराता है और जिसे राज्य स्तर पर ट्रेक किया जा सकता है।

जनसंपर्क विभाग से साभार

सरकार की सक्रियता और सजगता से

नियंत्रण में आया कोरोना

आज पूरी दुनिया एक आपदा में ग्रसित जिसका कोई उपचार किसी के पास नहीं। भारत जैसे विकासशील देशों की तो बात छोड़ दीजिये, अमेरिका फ्रांस और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियां भी कोरोना से हलाकान हैं। किसी के पास बचाव का कोई उपचार नहीं। हाँ, इस पर नियंत्रण का एक मात्र रास्ता है सावधानी और सतर्कता। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ओर जहां समय रहते सावधानियाँ शुरू कीं वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना कार्यभार संभालने के पहले पल से सक्रियता दिखाई। उन्होंने जिस दिन कार्यभार संभाला, वे राजभवन से घर नहीं आये बल्कि राज भवन में शपथ लेकर सीधे मंत्रालय पहुंचे और बैठकों का सिलसिला शुरू किया। तब तक मध्यप्रदेश के 39 जिलों में कोरोना अपने पैर पसार चुका था। उस दिन इंदौर, भोपाल और जबलपुर की तस्वीर तो ऐसी थी मानो कोरोना इन तीन जिलों में कहर बरपा देगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैराथन बैठकों का सिलसिला चलाया। मंत्रालय में हर विभाग के प्रमुख से बात की, जिलों का जायजा लिया। इंदौर में कर्फ्यू था। शिवराज जी ने भोपाल और जबलपुर में भी कर्फ्यू लागू किया और बाकी 37 जिलों में लॉकडाउन को सख्त किया। कोरोना के बारे में दो बातें सामने आ गई थीं एक तो यह कि इसका वायरस नमी में रहता है और शरीर में फैलने से पहले नाक नथुनों और होठों पर अपना कब्जा बनाता है।

सामान्यतः व्यक्ति का हाथ अक्सर नाक और मुँह को टच करता है यदि संक्रमित व्यक्ति ने अपना हाथ अपनी नाक या होंठ पर लगाया और उस व्यक्ति ने किसी से हाथ मिलाया तो यह वायरस दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देगा। इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति द्वारा दरवाजे के हैंडल को छूना, अपना मोबाइल किसी और को देने से भी वायरस आगे बढ़ सकता हैं संक्रमित व्यक्ति की छींक, खाँसी भी वायरस फैलाती है। इसलिए यह बेहद जरूरी था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाये। इसके लिये आवश्यक यह था कि लोग घरों में रहें। इसीलिए लॉकडाउन इसका एक बेहतर रास्ता था। जिन प्रदेशों ने या देशों ने लॉकडाउन में सख्ती नहीं दिखाई हालात वहीं बिगड़े। भारत का मुम्बई शहर और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के हालात इसी से बिगड़े।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्यप्रदेश सरकार ने इससे सबक लिया। समय के साथ इंदौर भोपाल और जबलपुर से कर्फ्यू हटा लेकिन लॉकडाउन सख्ती से जारी रहा। सरकार की हजार सावधानी के बावजूद कोरोना ने कुछ और जिलों में अपने पैर पसारे। इसका कारण यह था कि जो कुछ कहीं बाहर से संक्रमित होकर आये उन्होंने इसकी गंभीरता को नहीं समझा वे या तो कोरोना के प्रारंभिक लक्षणों को समझ ही न पाये अथवा कोरोना आरंभिक लक्षणों को देखकर घरेलू उपचार करने लगे। इस तरह अप्रैल के मध्य तक एक दौर ऐसा भी आया जब प्रदेश के दस जिलों में हालात गंभीर हो गये और करीब 36 जिलों कमोबेश कोरोना की उपस्थिति दर्ज की गई। लेकिन कोरोना से मुकाबले के लिये पूरा प्रशासन चाक–चौबंद रहा।

मध्यप्रदेश की पुलिस के एक–एक अधिकारी, एक–एक जवान दिन रात लॉकडाउन की सख्ती के लिये जुटा। यहाँ पूरा चिकित्सा विभाग जिसमें डॉक्टर, उनके सहायक और अन्य सहयोगियों ने विश्राम तक नहीं किया। सर्वे के काम में आँगनवाड़ी और

अन्य कर्मचारी भी जुटे रहे। इस पूरे स्टाफ को कहीं–कहीं तो विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रालय के आला अफसर पूरी टीम को निरंतर हौसला देते रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन कलेक्टरों से बात करते, काम में जुटे प्रशासन का हौसला बढ़ाते। इसका परिणाम यह हुआ कि नये आने वाले मरीजों का अनुपात घटा और स्वस्थ्य होने वाले मरीजों या यूँ कहें कि कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वालों का अनुपात बढ़ा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार और प्रशासन की टीम ने लगभग दो सप्ताह में ही स्थिति को बेकाबू होने से रोक लिया। इसका कारण यह था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न केवल दिन–रात सक्रिय रहे अपितु उन्हें मध्यप्रदेश के चप्पे–चप्पे की जानकारी थी। वहां रहने वाले लोगों की मानसिकता और जरूरतों का अंदाजा था। उनका लगभग पैंतालीस साल का सार्वजनिक जीवन है। वे तेरह साल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस नाते प्रशासन में काम करने वाले लोग, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के मनोविज्ञान से भी वे भली भांति परिचित हैं। जिस तरह हॉकी के खेल में यह देखना आवश्यक होता है कि कौन सेन्टर फॉरवर्ड रहे और कौन गोलकीपर, कौन लेफ्ट इन रहे और कौन राइट, ठीक उसी तरह किसी भी देश और प्रदेश का सत्ता प्रमुख की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कौन व्यक्ति किस बिन्दु पर अपनी परफार्मेंस बेहतर दे सकता है।

मुख्यमंत्री शिवराज जी ने उसी अनुरूप लोगों को तैनात किया। उन्होंने व्यवस्था में आंशिक फेरबदल किया और प्रशासन तंत्र को काम सौंपा। उनके सामने दूसरी चुनौती मध्यप्रदेश में आर्थिक तंगी की थी। पर शिवराज जी उसकी परवाह

नहीं की। कोरोना से मुकाबले के लिये एक तरफ सावधानी जरूरी होती है दूसरी तरफ शरीर की रोग से मुकाबला करने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना जरूरी होता है।

मुख्यमंत्री शिवराज जी की अपील पर जन सामान्य ने पूरा सहयोग किया और लोग घरों में ही रहे। लेकिन जो अमला बाहर काम कर रहा था या जो जीवन संवर्धन की अत्यधिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की सेवा में लगे थे उनकी सुरक्षा। इसके लिये सेनेटराजर, मास्क आदि वस्तुओं की जरूरत थी जिन्हें दिल्ली से बुलाया गया। एक और बड़ा काम उन लोगों को लाने का था जो मध्यप्रदेश के हैं और अन्य प्रान्तों में मजदूरी करने या अन्य प्रकार से अपनी आजीविका कमाने के लिये गये थे। उन्हें लेकर आना, और जो मजदूर रोज कमाने खाने का काम करते हैं। इनके सामने भोजन की समस्या थी।

कहीं–कहीं सरकार ने स्वयं आगे आकर नगरपालिका और नगर निगमों को इस काम में लगाया और कहीं–कहीं स्वयं सेवी संस्थाओं को आगे किया। इसके लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं आगे आकर स्वयंसेवी संस्थाओं से और सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से बात की। यह इसी का परिणाम है कि इस विकराल परिस्थिति में भी कोई भूखा नहीं सोया।

इस संकट के समय में कोरोना से मुकाबले के समय में सरकार को अनेक मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ा। बीमारों का उपचार, उपचार के लिये साधन, जरूरतमंदों की मदद के लिये भोजन इसके साथ उन नादानों के साथ सख्ती जो लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उपचार के लिये सरकार द्वारा बुलाई गई चीन निर्मित कुछ किट स्तर हीन पाई गई। लेकिन न तंत्र ने और न सरकार ने कोई हिम्मत नहीं हारी। बहुत–सी चीजें स्वयं विकसित कीं। सामाजिक संस्थाओं ने मास्क बनाना और बांटना शुरू किये, सरकार ने बीपीएल कार्डधारियों को तीन–तीन महीने का राशन निशुल्क उपलब्ध कराया। दसवीं और बारहवीं कक्षाओं को छोड़कर बाकी सबको जनरल प्रमोशन दिया।

यह मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व, प्रशासन तंत्र का बेहतर समन्वय और समाज की जागरूकता से भरा सहयोग का परिणाम है कि मध्यप्रदेश में कोरोना हारने लगा है। सिमटने लगा है। मुक्ति कब मिलेगी यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन हालात पर सरकार का पूरी तरह नियंत्रण हैं। अनुमान किया जा सकता है कि मई के अंत तक तीन चार नगरों को छोड़कर बाकी जगह हालात सामान्य हो जायेंगे।

● रमेश शर्मा

महिलाओं को सशक्त बनाने जीवन शक्ति योजना आई
कोरोना संकट में मास्क पहनने में ही है सभी की भलाई

इस समय प्रदेश ही नहीं, दुनिया भर में कोरोना महामारी फैली हुई है। कोरोना नामक वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये कुछ मूलभूत सावधानियां हैं, जिनमें मास्क पहनना भी एक अनिवार्य कार्य है। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय के रूप में कपड़े के फेस मास्क के उपयोग को सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुशंसित किया गया है। इसका प्रसार मुख्य रूप से खांसने या छींकने के दौरान श्वसन के माध्यम से होता है जो कि एक संक्रमित व्यक्ति के द्वारा हवा के माध्यम से फैलता है। फेस मास्क का उपयोग करके इससे बचा जा सकता है।

सरकार द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई भी खुले में बिना मास्क या मुंह ढंके हुए पाया जाता है जो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने के प्रावधान हैं। आपदा की इस घड़ी में देश मास्क जैसी मामूली चीजें भी अन्य देशों सें मंगवा रहा है। दूसरे देशों से मास्क मंगवाने में एक तो समय भी लगता है और देश का पैसा भी अन्य देश जाता है। इसके साथ ही बाहर से मंगवाये गये मास्क गुणवत्ता के मामले में भी खरे नहीं उतरते। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुये मध्यप्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में महिलाओं को रोज़गार देने के साथ उन्हें सशक्त बनाने और कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक संख्या एवं कम कीमत में मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की है। योजना में सरकार ने महिलाओं को मास्क बनाने का काम सौंपा है। इसके बाद सरकार महिलाओं से मास्क खरीद कर जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। जीवन शक्ति योजना में अब तक 10 हजार से ज्यादा शहरी महिलाओं ने पंजीयन करवा लिया है। योजना प्रारंभ होने के पहले दिन, पहले घंटे में ही 325 और 24 घंटे में 4 हजार 200 महिलाओं ने मास्क निर्माण के लिये पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया था। पंजीयन के मुताबिक प्रत्येक महिला को एक बार में 200 मास्क बनाने का कार्य आदेश दिया जा रहा है। इस योजना में वर्तमान में 20 लाख से ज्यादा मास्क बनाये जा रहे हैं। इस योजना में सौ प्रतिशत कॉटन से निर्मित दोहरी परत वाले मास्क बनाए जाएंगे। ये मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम में अत्यन्त प्रभावशाली रहेंगे। इस योजना से ऐसी शहरी महिलाएं जो काम न होने की वजह से घर पर खाली बैठी थीं, वह अब अच्छी आय अर्जित कर पाएंगी। यह कार्य विभाग की वेबसाइट http://maskupmp.mp.gov.in के माध्यम से किया जा रहा है।

- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मास्क बनाने और महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से 25 अप्रैल को प्रारंभ की गई जीवन शक्ति योजना।
- पहले दिन प्रदेश में 4200 महिलाओं ने कराया अपना पंजीयन।
- अब तक 10 हजार से ज्यादा

महिलाओं ने जीवन शक्ति योजना में कराया पंजीयन।

- इन महिलाओं द्वारा प्रदेशभर में तैयार हो रहे हैं 20 लाख से ज्यादा मास्क।
- मास्क बनाने पर पंजीकृत महिलाओं को मिलेंगे 11 रुपये प्रति मास्क।

जीवन शक्ति योजना से जुड़, मास्क बनाने में जुटीं उज्जैन की गरिमा

जीवन शक्ति योजना प्रारंभ होते ही उज्जैन की श्रीमती गरिमा ने इससे जुड़ने का निश्चय किया। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूह बनाकर उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं

को जोड़ा। इस योजना के माध्यम से गरिमा कोरोना के विरुद्ध युद्ध में तैनात योद्धाओं के लिये बड़े पैमाने पर मास्क बनाने के लिये संकल्पित हो गई हैं। गरिमा ने इस योजना को प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बताया है। उनका मानना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के माध्यम से शहरी महिला शक्ति को सम्मानित किया है तथा उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की पहल की है।

जीवन शक्ति योजना

- शहरी क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा अपने आधार नं. अथवा मोबाइल नं. द्वारा पोर्टल पर पंजीयन किया जायेगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में महिलाओं को रोज़गार देने के साथ उन्हें सशक्त बनाने और कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक संख्या एवं कम कीमत में मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की है। योजना में सरकार ने महिलाओं को मास्क बनाने का काम सौंपा है। इसके बाद सरकार महिलाओं से मास्क खरीद कर जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। जीवन शक्ति योजना में अब तक 10 हजार से ज्यादा शहरी महिलाओं ने पंजीयन करवा लिया है। योजना प्रारंभ होने के पहले दिन, पहले घंटे में ही 325 और 24 घंटे में 4 हजार 200 शहरी महिलाओं ने मास्क निर्माण के लिये पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया था। पंजीयन के मुताबिक प्रत्येक महिला को एक बार में 200 मास्क बनाने का कार्य आदेश दिया जा रहा है। इस योजना में वर्तमान में 20 लाख से ज्यादा मास्क बनाये जा रहे हैं।

- पंजीयन की प्रक्रिया में बैंक खाता का विवरण दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
- पंजीयन के समय मास्क तैयार करने की मासिक क्षमता की प्रविष्टि की जाएगी।
- पंजीयन पूर्ण होने के पश्चात पंजीकृत मोबाइल पर पंजीयन क्रमांक, पोर्टल का यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त होगा।
- पंजीयन में कठिनाई आने पर हेल्पालाइन दूरभाष क्र. 0755-2700800 पर संपर्क किया जा सकता है।

पात्रता

इस योजना में समस्त शहरी महिलाएं पात्र हैं। इस योजना में ऐसी संस्थाएं जिन्हें एग्रीगेटर कहा जाएगा, जो विभिन्न माध्यमों से मास्क की मांग का संग्रहण करती हैं वे भी पात्र होंगी। इन संस्थाओं का पंजीयन पृथक से किया जाएगा। अन्य संस्थान भी अपनी आवश्यकता के मास्क इस योजना के माध्यम से शहरी पंजीकृत महिलाओं से बनवा सकते हैं।

पंजीयन की प्रक्रिया

इच्छुक महिलाएं अपना पंजीयन वेबसाइट www.maskupmp.mp.gov.in पर स्वयं कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाएं फोन नम्बर 0755-2700800 पर फोन करके भी अपना पंजीयन करा सकती हैं। पंजीयन कराने के लिए स्वयं के नाम का बैंक खाता क्रमांक एवं आधार क्रमांक अनिवार्य है। पंजीयन के बाद प्रत्येक हितग्राही को समस्त जानकारी केवल उसके पंजीकृत मोबाइल पर ही भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, हितग्राही समस्त जानकारियां पोर्टल पर अपने खाते में भी देख सकेंगी।

मास्क आदेश का प्रदाय

प्रत्येक महिला को आवश्यक संख्या में मास्क बनाने का आदेश केन्द्रीयकृत पोर्टल से दिया जाएगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा क्रय आदेश को पोर्टल पर स्वीकृत करते ही आदेश संबंधित महिला के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा। इस एसएमएस में एक लिंक भी होगा, जिस पर क्लिक करने पर हितग्राही इस क्रय आदेश की प्रति देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, किसी भी एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा केन्द्र अथवा कामन सर्विस केन्द्र से भी इसकी प्रति प्राप्त कर सकेंगे। एसएमएस से प्राप्त आदेश पर महिला हितग्राही अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकती हैं। उसको किसी प्रकार के अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

मास्क की संरचना

मास्क का आकार 8'x4' का होना चाहिए। मास्क शत-प्रतिशत सूती वस्त्र का होना चाहिए। मास्क थ्री फोल्ड डबल लेयर होना चाहिए। मास्क निर्माण की प्रक्रिया भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा जारी मैन्युअल के अनुसार होगी। मास्क

का निर्माण हितग्राही अपनी सुविधा के स्थल पर कर सकेंगे।

मास्क को प्रदान करने की प्रक्रिया

इस व्यवस्था के संचालन के लिये जिला कलेक्टर प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर निर्मित मास्क प्राप्त करने के लिये अधिकारी नियुक्त किये हैं। आवश्यकतानुसार प्रति नगरीय निकाय एक से अधिक अधिकारी भी नामित किये जा सकते हैं। मास्क निर्माण होने पर हितग्राही अपने निर्मित मास्क जिला कलेक्टर द्वारा नामित अपने नगरीय निकाय के अधिकारी को प्रदान करेंगे। मास्क प्राप्ति की स्वीकृति संबंधित अधिकारी द्वारा अनिवार्यत: पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। यह स्वीकृति पोर्टल से भी प्रिंट की जा सकती है। नामित अधिकारी द्वारा मास्क की प्राप्ति दर्ज करते ही 11 रुपये प्रति मास्क की दर से राशि हितग्राही के पंजीकृत खाते में जमा कर दी जाएगी। इस संबंध में एसएमएस हितग्राही के मोबाइल पर भी भेजा जाएगा।

कोरोना नामक वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये कुछ मूलभूत सावधानियां हैं, जिनमें मास्क पहनना भी एक अनिवार्य कार्य है। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय के रूप में कपडे के फेस मास्क के उपयोग को सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुशंसित किया गया है। इसका प्रसार मुख्य रूप से खांसने या छींकने के दौरान श्वसन के माध्यम से होता है जो कि एक संक्रमित व्यक्ति के द्वारा हवा के माध्यम से फैलता है। फेस मास्क का उपयोग करके इससे बचा जा सकता है। सरकार द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई भी खुले में बिना मास्क या मुंह ढंके हुए पाया जाता है जो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने के प्रावधान हैं।

वितरण की प्रक्रिया

मास्क विक्रय करने के लिये सभी इच्छुक संस्थाएं नामित अधिकारी से मास्क प्राप्त कर सकती हैं। नामित अधिकारी ऐसी सभी संस्थाओं को 11 रुपये प्रति मास्क की दर से राशि प्राप्ति के बाद मास्क प्रदान करेंगे। इसकी प्रविष्टि पोर्टल पर करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट 'मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम' के नाम भोपाल में देय होंगे। मास्क की ब्रिकी के बाद भविष्य की आवश्यकता का आकलन नामित अधिकारी करेंगे। इसकी सूचना पोर्टल पर दर्ज करेंगे। योजना के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण अथवा जानकारी jeevanshakti2020@gmail.com पर दी जाएगी। सरकार द्वारा जिला कलेक्टर्स को कहा गया है कि वे इस योजना से अधिक से अधिक महिलाओं एवं उचित मूल्य की दुकानों को जोड़ें।

● **रश्मि रंजन**

राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस पर

प्रधानमंत्री का सरपंचों के साथ संवाद

चौबीस अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष देश के लाखों पंचायतों के सरपंच और पंचायत सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर उन्हें संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनने की तरफ प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने पंचायतों के हित से जुड़ी दो योजनाओं के शुभारंभ की घोषणा भी की। इस दौरान उन्होंने सरपंच और पंचायत सदस्यों से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कितना मददगार होगा इस पर चर्चा की। अंत में देश के विभिन्न पंचायतों से जुड़े सरपंच और पंचायत सदस्यों से प्रधानमंत्रीजी ने ऑनलाइन वन-टू-वन परिचर्चा भी की। इस दौरान केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी को पंचायती राज को समझाते हुए कहा कि साथियों पंचायती राज दिवस, गांव तक सुराज पहुंचाने के हमारे संकल्प को दोहराने का भी मौका होता है। और कोरोना संकट के इस दौर में इस संकल्प की प्रासंगिकता तो और बढ़ गई है। ये सही है कि कोरोना महामारी ने हमारे लिए कई मुसीबतें पैदा की हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि इस महामारी ने हमें एक नई शिक्षा भी दी है। एक नया संदेश भी दिया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं। कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत लाखों सरपंच और पंचायत सदस्यों को पंचायती राज दिवस की शुभकामनाओं के साथ किया। शुरुआत स्तर पर उन्होंने वर्तमान समय में फैली वैश्विक महामारी कोरोना से जुड़ी बात करते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी ने वाकई हम सभी के काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है।

पहले हम लोग किसी कार्यक्रम में आमने-सामने मिलते थे। अब वही कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है।

इस वक्त देशभर के लाखों सरपंच और पंचायत सदस्य टेक्नॉलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन। आज अनेक पंचायतों को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार भी मिले हैं। पुरस्कार विजेता सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को भी बहुत-बहुत बधाई।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी को पंचायती राज को समझाते हुए कहा कि साथियों पंचायती राज दिवस, गांव तक सुराज पहुंचाने के हमारे संकल्प को दोहराने का भी मौका होता है। और कोरोना संकट के इस दौर में इस संकल्प की प्रासंगिकता तो और बढ़ गई है। ये सही है कि कोरोना महामारी ने हमारे लिए कई मुसीबतें पैदा की हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि इस महामारी ने हमें एक नई शिक्षा भी दी है। एक नया संदेश भी दिया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उस तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं।

कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा।

डिजिटल सुविधाओं के जरिए गांवों में बदलाव की पहल

Help us to help you

mygov मेरी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरपंचों के साथ संवाद के दौरान **स्वामित्व योजना** की शुरुआत की

ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक सम्पति का नक्शा बनाया जायेगा

'सम्पति-कार्ड' के माध्यम से भूमि के मालिकाना हक की रक्षा हो सकेगी, **सम्पति का वित्तीय उपयोग किया जा सकेगा**

सटीक रिकॉर्ड का उपयोग भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में, **अवैध कब्ज़ा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकेगा**

संपत्ति कर संग्रह का दायरा बढ़ेगा और पंचायतें ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पायेंगी

इस तरह से आधुनिक और बेहतर बनाने की कोशिश

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव, जिला, राज्य हो या फिर पूरा देश सभी को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। खुद को आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे देश की ग्राम पंचायतों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मजबूत पंचायतें, आत्मनिर्भर गांव का भी आधार हैं। और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी। उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ, आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा। इसी सोच के साथ सरकार ने पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। 5-6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की सौ से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी थीं। अब सवा लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी तीन लाख को पार कर रही है। सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया हुआ है। उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव तक कम कीमत वाले स्मार्ट फोन पहुंच चुके हैं। ये जो आज इतने बड़े पैमाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें इन सभी बहुत बड़ा योगदान है।

ये दो योजनाओं की हुई शुरुआत

चर्चा के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा दो बड़े प्रोजेक्ट ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और उसके एप की लॉन्चिंग और दूसरा है स्वामित्व योजना की शुरुआत। अभी म.प्र. सहित उ.प्र., महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तराखंड छह राज्यों में ये योजना एक बड़े प्रयोग के तौर पर शुरू की जा रही है। इससे जो अनुभव मिलेंगे, जहां कमियों को ठीक करना होगा, जहां सुधार करना होगा, वो सब सुधार करने के बाद इस योजना को पूरे देश में

लागू किया जाएगा।

ग्राम स्वराज यानी (सिम्पली वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज) ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग-अलग कामों का लेखा-जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। अब अलग-अलग एप्लीकेशंस में अलग-अलग काम करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस पोर्टल और एप पर पंचायत के विकास कार्य की जानकारी से लेकर उसके लिए तय फंड और उसके खर्च से जुड़ी तमाम जानकारियां रहेंगी। इसके जरिए अब कोई भी व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायत में हो रहे कामकाज की जानकारी रख पाएगा। इससे ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता-ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। रिकॉर्ड रखने का काम भी ज्यादा सरल होगा और प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग से लेकर कंप्लीशन की प्रक्रिया भी तेज होगी।

स्वामित्व योजना - श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांवों में प्रॉपर्टी को लेकर जो स्थिति रहती है। वो आप सभी भली-भांति जानते हैं। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में आवासों की ड्रोन से मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को प्रॉपर्टी का एक मालिकाना प्रमाण पत्र यानि (टाइटल डीड) दिया जाएगा। इस योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। पहला तो यही कि प्रॉपर्टी को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वह दूर हो जाएगी। दूसरा इससे गांव में विकास योजनाओं की बेहतर प्लानिंग में और ज्यादा मदद मिलेगी। इसका एक और बड़ा लाभ ये होगा कि इससे शहरों की ही तरह गांवों में भी बैंकों से लोन मिलने का रास्ता और आसान हो जाएगा।

इसलिए मनाया जाता है पंचायती राज दिवस

हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है। जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 से हुई थी। पूरे देश को चलाने में सिर्फ केंद्र सरकार या सिर्फ राज्य सरकार सक्षम नहीं हो सकती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर भी प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है। इस काम के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी सिफारिश में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जिसे पंचायती राज कहा गया है।

● **प्रवीण पाण्डेय**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तदबीर से सुधरी

बुधा और किशन की बदली तकदीर

गरीबी एक ऐसा कुचक्र है जिसमें एक बार फंसने वाला व्यक्ति उसमें फंसता ही चला जाता है और कभी-कभी तो उसकी पीढ़ियां भी इस कुचक्र का शिकार होकर इसे नियति मानकर समझौता कर लेती हैं। कुछ चुनिंदा जीवट वाले व्यक्ति हार नहीं मानते और निरंतर संघर्ष करते हुए इस कुचक्र से निकलने के रास्ते तलाशते हैं। ऐसी ही कहानी है दो भाइयों बुधा और किशन की, जिन्होंने अपने परिश्रम और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की जुगलबंदी से दरिद्रता की कमर तोड़ी ये इसका जीवंत उदाहरण हैं।

आज से करीब 75-80 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के आड़गांव में बोमच्या पिता भुवटा का जन्म एक अत्यंत निर्धन आदिवासी परिवार में हुआ था। समय व्यतीत होने पर इनका विवाह मध्य प्रदेश के आदिवासी विकासखंड जनपद पंचायत पानसेमल में अवस्थित ग्राम आमझिरी के सुदूर दुर्गम वन ग्राम आमला पानी (रानी काजल) में चेवटी बाई से हुआ, विवाह उपरांत बोमच्या अपनी पत्नी चेवटी बाई के साथ आमलापानी में ही रहने लगे। बोमच्या और चेवटी बाई भूमिहीन थे, जीवन निर्वहन अत्यंत मुश्किल था। अतः यहां वहां जो मजदूरी मिल जाती थी, उससे किसी तरह अपना जीवनयापन करते थे, वन क्षेत्र से जलाऊ लकड़ी लाकर आस-पास के गांव में बेच देते थे साथ ही वन भूमि पर थोड़ा बहुत अनाज उत्पन्न कर लेते थे, लेकिन इस भूमि पर कोई हक ना होने से इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता था। किसी तरह जीवन निर्वहन हो रहा था, समय बीतता गया और इनके घर कुछ वर्षों के अंतराल से दो पुत्र बुधा व किशन तथा तीन पुत्रियां पिंगली, इमला और बाईसी पैदा हुई, पहले जो संघर्ष बोमच्या और चेवटी बाई कर रहे थे अब उसमें 5 लोग और जुड़ गए थे। निर्धनता से संघर्ष करते-करते वर्ष 2007 में बोमच्या का निधन हो गया एक ओर गरीबी तो दूसरी ओर परिवार की जवाबदारी चेवटी बाई के ऊपर आ गई, लेकिन हिम्मत न हारते हुए इन्होंने मेहनत मजदूरी करके तीनों पुत्रियों व दोनों पुत्रों का लालन-पालन किया, कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती थी कि घर में सब को भूखा सोना पड़ता था। समय आने पर आदिवासी समाज के रीति अनुसार चेवटी बाई ने एक-एक करके तीनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। चेवटी बाई की इच्छा थी कि उनके दोनों पुत्र शिक्षित बने इसलिए बुधा और किशन

को प्राथमिक शिक्षा के लिए समीप की ग्राम पंचायत मोर तलाई भेजा। फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए खेतिया भेजा, हायर सेकेंडरी तक दोनों भाई आदिवासी छात्रावास खेतिया में रहकर पढ़ाई करते रहे, यहां भी निर्धनता ने पीछा नहीं छोड़ा और आखिर में दोनों भाइयों को संघर्ष करते हुए देखकर खेतिया के श्री सुरेश भावसार परिवार ने आर्थिक मदद और कपड़े, पुस्तकों इत्यादि की व्यवस्था की। बुधा ने बायोलॉजी विषय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की, फिर बीए द्वितीय वर्ष तक भोज मुक्त विश्वविद्यालय से पढ़ाई की वहीं किशन ने गणित विषय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर बीएससी की द्वितीय वर्ष तक पढ़ाई शासकीय महाविद्यालय से की अब

चेवटी बाई सहित बुधा व किशन का परिवार बहुत खुश हुआ कि उन्हें शासन द्वारा वन भूमि पर अधिकार पत्र दिया गया है। अब दोनों भाइयों ने मिलकर और अधिक मेहनत करनी शुरू की, लेकिन वन भूमि को कृषि योग्य बनाने में बहुत कठिनाई थी, भूमि ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ पर थी। साथ ही सिंचाई का कोई साधन भी नहीं था, लेकिन दोनों भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और वन अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद से वह निरंतर अपनी पंचायत आमझिरी के सरपंच सचिव और रोजगार सहायक से सतत संपर्क में थे। इनका परिश्रम देखकर सरपंच विनोद पटेल, सचिव मोहन सोनी और सहायक सचिव जितेश बागुल ने वर्ष 2016-17 में इनकी वनाधिकार भूमि पर मनरेगा अंतर्गत 2.30 लाख का कपिलधारा कूप स्वीकृत किया कुएं में 25 हाथ खुदाई होते ही पानी निकला और भूमि सिंचित हो गई ,जिससे परिवार के लिए कुछ अनाज उपजाने की व्यवस्था हो गई।

तक घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि दोनों भाइयों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। किशन ने वर्ष 2008 से 2010 तक ब्रिज कोर्स अल्प मानदेय पर चलाया, इसके बाद वर्ष 2011 से 2013 तक अतिथि शिक्षक के पद पर पहले आमझिरी और फिर आमला पानी में अपनी सेवाएं दीं, इस बीच बुधा व किशन का विवाह भी हो गया किंतु निर्धनता और अभाव से जूझते व परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ने से दोनों भाइयों की हिम्मत जवाब दे गई और बुधा व किशन अंततः मजबूर होकर दूसरों के खेतों पर मजदूरी करने लगे। जीवन में संघर्ष जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब दोनों भाइयों ने निर्धनता को ही अपनी नियति मान लिया था, जो भी काम दोनों को मिलता था अपने परिवार के साथ वह कार्य करते थे इस तरह गुजर-बसर हो रही थी।

बुधा और किशन अपने पिता बोमच्या के साथ वन भूमि से जलाऊ लकड़ी लाया करते थे साथ ही थोड़ा बहुत अनाज उपजा लेते थे, उस भूमि का रकबा 2.835 हेक्टेयर था, इसी बीच शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के द्वारा निर्धन आदिवासी वर्ग को वन भूमि पर मान्यता देते हुए उन्हें भू-अधिकार पत्र दिए जाने लगे, तब बुधा और किशन ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने पूर्वजों की जमीन को प्राप्त करें, लेकिन उन्हें इसका तरीका नहीं मालूम था। तब उन्होंने अपनी पंचायत के सरपंच विनोद पटेल, सचिव मोहन सोनी और सहायक सचिव जितेश बागुल से संपर्क किया। ग्राम पंचायत के द्वारा तत्काल ही सकारात्मक रुख दिखाते हुए दोनों भाइयों को वन अधिकार पत्र आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया समझाई गई और सभी अभिलेख इकट्ठे करा कर आवेदन करवाया। ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति से पारित कराकर प्रस्ताव खंड स्तरीय विकासखंड समिति फिर जिला स्तरीय अधिकार समिति द्वारा वन अधिकार पत्र स्वीकृत कर दिया गया। अंततः बुधा और किशन को संयुक्त रूप से वन अधिकार पत्र प्राप्त हो गया।

बुधा और किशन द्वारा अपने परिवार सहित मेहनत से सिंचाई करके पौधों का रक्षण किया गया। वर्तमान में फलदार पौधे निरंतर बढ़त ले रहे हैं, शेष भूमि पर दोनों भाई मक्का, बाजरा, ज्वार की फसल उगाकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में बुधा और किशन को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया, साथ ही स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय भी दिया गया। जिससे दोनों के परिवार पक्के मकान में रहने लगे, अपनी जमीन को निरंतर सिंचित करने हेतु सोलर पंप की स्वीकृति भी पंचायत द्वारा शीघ्र ही कराई जा रही है जिससे पूरी भूमि अच्छी तरह से सींची जा सके। चेवटी बाई और उनके दोनों पुत्र बुधा और किशन अपने परिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी रहे हैं और निरंतर निर्धनता से संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं।

चेवटी बाई सहित बुधा व किशन का परिवार बहुत खुश हुआ कि उन्हें शासन द्वारा वन भूमि पर अधिकार पत्र दिया गया है। अब दोनों भाइयों ने मिलकर और अधिक मेहनत करनी शुरू की, लेकिन वन भूमि को कृषि योग्य बनाने में बहुत कठिनाई थी, भूमि ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ पर थी। साथ ही सिंचाई का कोई साधन भी नहीं था, लेकिन दोनों भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और वन अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद से वह निरंतर अपनी पंचायत आमझिरी के सरपंच सचिव और रोजगार सहायक से सतत संपर्क में थे। इनका परिश्रम देखकर सरपंच विनोद पटेल, सचिव मोहन सोनी और सहायक सचिव जितेश बागुल ने वर्ष 2016-17 में इनकी वनाधिकार भूमि पर मनरेगा अंतर्गत 2.30 लाख का कपिलधारा कूप स्वीकृत किया कुएं में 25 हाथ खुदाई होते ही पानी निकला और भूमि सिंचित हो गई, जिससे परिवार के लिए कुछ अनाज उपजाने की व्यवस्था हो गई। इसी क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में मनरेगा अंतर्गत खेत की मेड़ पर 200 पौधों की परियोजना स्वीकृत की, जिसकी लागत 1.7 लाख थी। इस परियोजना में 130 आम के पौधे, 45 बांस के पौधे, साथ ही आंवला, रामफल, जामफल इत्यादि पौधे लगाए गए। बुधा और किशन द्वारा अपने परिवार सहित मेहनत से सिंचाई करते हुए इन पौधों का रक्षण किया गया। वर्तमान में फलदार पौधे निरंतर बढ़त ले रहे हैं। भूमि पर दोनों भाई मक्का, बाजरा, ज्वार की फसल उगाकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं श्र ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में बुधा और किशन को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया, साथ ही स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय भी दिया गया। जिससे दोनों के परिवार पक्के मकान में रहने लगे, अपनी जमीन को निरंतर सिंचित करने हेतु सोलर पंप की स्वीकृति भी पंचायत द्वारा शीघ्र ही कराई जा रही है जिससे पूरी भूमि अच्छी तरह से सींची जा सके। चेवटी बाई और उनके दोनों पुत्र बुधा और किशन अपने परिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी रहे हैं और निरंतर निर्धनता से संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के साथ बुधा और किशन के निरंतर परिश्रम की जुगलबंदी से न केवल इनका जीवन स्तर सुधर रहा है बल्कि दूसरों की भूमि पर मजदूरी करने की बजाय वे स्वयं के मालिकाना हक की भूमि पर फसल लेने के साथ ही फलदार वृक्ष भी पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं जिससे इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आय प्राप्त होगी। निर्धन आदिवासी भाइयों के दो परिवार आज निरंतर समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।

● **सौरभ सिंह राठौड़**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पानसेमल
जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

स्व–सहायता और स्व–विकास से आर्थिक स्वावलम्बन

मध्यप्रदेश में महिलाओं को सशक्त, स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीविका मिशन द्वारा स्वसहायता समूहों का निर्माण किया गया। प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत निर्मित समूहों की संख्या लगभग 2 लाख 86 हजार है। इन समूहों से 32 लाख 58 हजार परिवार जुड़े हैं।

समूह की महिलाओं ने आजीविका से स्थायी रोजगार का अपना एक प्रकल्प खड़ा कर दिया है। इसका प्रमाण है वे लाखों परिवार जो पहले गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में शामिल थे अब उनकी वार्षिक आय 1 लाख के ऊपर है। इन महिलाओं ने अपना लखपति क्लब भी बना लिया है। समूह से जुड़ने के बाद लाखों महिलाएं अपना कौशल विकास करके आजीविका प्राप्त कर स्वावलम्बी बनी हैं। वे आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं। महिलाओं के विकास से जुड़ने के जज्बे ने कई नवाचार किये हैं। विकास की संभावनाओं को आकार दिया है और स्वयं के साथ समाज को स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध किये हैं। प्रदेश में आजीविका मिशन द्वारा स्थापित इन समूहों द्वारा सघन कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण मध्यप्रदेश में स्व सहायता समूह आंदोलन में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आर्थिक स्वावलम्बन की लहर निर्मित की है।

महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में होने वाले सार्थक परिणाम अब धरातल पर दिखायी दे रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आजीविका कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

उपलब्धियाँ : एक नजर

- **स्व-सहायता समूह** – 2,86,000 स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का गठन किया गया है।
- **स्व-सहायता समूह से जुड़े परिवार** – 32,58,000 परिवार समूहों से जोड़े जा चुके हैं।
- **ग्राम संगठन** – 26,408 ग्राम संगठन (व्ही.ओ.) बनाए गए हैं, जिनमें 1,87,779 समूहों की सदस्यता हो चुकी है।
- **संकुल स्तरीय संगठन (सी. एल.एफ.)**– 808 बनाए जा चुके हैं।
- **सी.टी.सी.** – विभिन्न जिलों में 39 सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र (सी.टी. सी.) संचालित हैं।
- **बुक कीपर्स** – स्व-सहायता समूहों की बुक कीपिंग के लिए 1,98,834 बुक कीपर्स प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।
- **समुदाय स्रोत व्यक्ति** – कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एवं कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 31,708 समुदाय स्रोत व्यक्तियों (सी.आर.पी.) का चिन्हांकन व प्रशिक्षण किया गया है।
- **रोज़गार/स्व-रोज़गार** – इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 61 हजार ग्रामीण युवाओं को डी.डी.यू. जी.के.वाई. से रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा 2 लाख 61 हजार युवाओं को आरसेटी के माध्यम से स्व-रोज़गार हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही ग्रामीण युवाओं को रोज़गार मेलों के माध्यम से भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
- **मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं स्व-रोज़गार योजना** – मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण और मुख्यमंत्री स्व-रोज़गार योजना के माध्यम से 59,315 हितग्राही लाभान्वित किए गये हैं।
- **बैंक ऋण** – बैंकों से 2,39,536 प्रकरणों में रु. 2,721 करोड़ का ऋण समूहों को दिलाया गया है।
- **बैंक सखी/वीसी** – समूहों का लेन-देन सरल करने की दृष्टि से 1477 बैंक सखी एवं 843 बैंक बिजनेस कॉरस्पॉन्डेन्स प्रशिक्षित होकर कार्यरत हैं।
- **समुदाय आधारित बीमा सुरक्षा संस्थान** – 24 जिलों में गठित किये जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में 64,516 सदस्य जोड़े जा चुके हैं।
- **कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों से जोड़े गये परिवार** – 9 लाख 5 हजार परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- **पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़े परिवार** – 2 लाख 39 हजार परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- **गैर-कृषि आधारित आजीविका गतिविधियां** – 3 लाख 52 हजार परिवारों द्वारा गैर-कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों का संवर्धन किया गया है।
- **वस्त्र/परिधान** – स्व-सहायता समूहों से जुड़ी 32,300 से अधिक महिलायें परिसंघ अथवा स्वतंत्र रूप से सिलाई कार्य कर वस्त्र/परिधान तैयार कर रही हैं।
- **सेनेटरी नेपकिन** – मिशन द्वारा सेनेटरी नेपकिन की उत्पादन/ रिपैकेजिंग इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिसमें स्व-सहायता समूहों की 8360 महिलाएं जुड़ी हैं।
- **अगरबत्ती उत्पादन** – अगरबत्ती उत्पादन से 7320 समूह सदस्य जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं।
- **वॉश उत्पाद निर्माण** – 9310 समूह सदस्यों द्वारा साबुन, टॉयलेट, क्लीनर, वाशिंग पाउडर, फिनाइल एवं हैण्ड वॉश का निर्माण किया जा रहा है।
- **हथकरघा** – प्रदेश में 1236 हितग्राही हथकरघा कार्य में संलग्न हैं।
- **आजीविका फ्रेश** – स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सब्जियों के विक्रय के लिये 657 आजीविका फ्रेश संचालित किए जा रहे हैं।
- **उन्नत कृषि** – एस.आर.आई. पद्धति से 1,69,091 हितग्राहियों द्वारा धान का उत्पादन खरीफ सीजन में किया गया। जिससे उत्पादन में लगभग दो गुना वृद्धि हुई है।
- **पोषण वाटिका** – लगभग 9 लाख 42 हजार 'आजीविका पोषण वाटिका' तैयार की गई हैं।
- **जैविक खेती** – जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8,78,555 हितग्राहियों द्वारा वर्मी पिट और नाडेप पिट बनाए गए हैं।
- **व्यावसायिक सब्जी** – 4 लाख 60 हजार कृषकों को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है।
- **दुग्ध उत्पादन** – 1,53,387 परिवारों द्वारा दुग्ध उत्पादन गतिविधि आरंभ की गई है।
- **उत्पादक कंपनियां** – 39 उत्पादक कंपनियां (जिनमें 32 कृषि आधारित, 4 दुग्ध, 2 मुर्गीपालन, 1 लघु वनोपज) कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश में आर्थिक स्वावलम्बन से समाज परिवर्तन

मध्यप्रदेश में महिलाओं को सशक्त, स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने के लिये शुरू किये गये आजीविका कार्यक्रम के परिणाम धरातल पर दिखने लगे हैं। महिलाओं के रोज़गार से आजीविका की ओर बढ़ते कदम सामाजिक परिवर्तन की दिशा तय कर रहे हैं।

ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व–सहायता समूहों के रूप में संगठित कर आजीविका के स्थाई अवसर उपलब्ध कराने के लिए म.प्र. राज्य आजीविका मिशन की स्थापना की गयी थी।

मिशन का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। मिशन का लक्ष्य है गरीब परिवारों को उपयोगी स्व–रोज़गार तथा कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, निर्धनता कम करना और मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की जीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाना है।

मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका मिशन के तहत निर्मित स्व–सहायता समूहों की संख्या 2 लाख 68 हजार है। इससे लगभग 32 लाख 58 हजार परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

स्व–सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं के जुनून और जज्बे ने अपनी विकास गाथा खुद लिखी है। विपरीत और विषम परिस्थितियों को पाटकर ये महिलाएं समाज परिवर्तन की दिशा में अनुकरणीय उदाहरण हैं। ऐसी ही बुलंद इरादों से लबरेज समाज को दिशा देती महिलाओं से हमने चर्चा की। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट –

शिक्षा की रोल मॉडल बनीं कविता सोलंकी

कविता सोलंकी, इंदौर जिले के ग्राम पालिया की एक ऐसी बेटी बन गयी हैं, जिनकी मिसाल देकर पालिया गांव ही नहीं, उसके आस–पास के गांव की बेटियां पढ़ने के लिये प्रेरित हो रही हैं। हमने कविता सोलंकी से उनकी सफल यात्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। मेरे पिता विक्रम सिंह सोलंकी मजदूर थे। तीन बहन और एक भाई के हमारे परिवार में भी यही हुआ। मेरी बड़ी बहन की शादी कर दी गयी, पर उसे प्रताड़ित किया गया। उसका तलाक हो गया और वह वापस गांव आ गई तब मेरे पिताजी को लगा कि मुझे अपनी छोटी बेटी को पढ़ाना चाहिए। मैंने बी.कॉम. तक पढ़ाई की और फिर मुझे दीनदयाल कौशल उन्नयन योजना के तहत तीन महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मैंने वेयरहाउस का कोर्स किया जिससे मानदेय प्राप्त हुआ और तीन महीने बाद मुझे तुरंत 8 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की नौकरी मिल गयी। चूंकि मेरा भाई

परिवार से अलग हो गया था। पिता मजदूरी करते थे अतः मुझे नौकरी मिलते ही मेरे परिवार की स्थिति सुधरी और नौकरी के साथ मैंने एम.बी.ए. की पढ़ाई भी कर ली।

अब मुझे इन्दौर में एक कम्पनी में 25 हजार रुपये प्रतिमाह की नौकरी लग गयी है। मैंने अपनी बड़ी बहन की बेटी को नर्सिंग का कोर्स करवाया। अब मैं परिवार की सभी जरूरी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हूँ। एक समय था जब हम लोगों को ठीक से भोजन तक नहीं मिलता था। समाज में उपेक्षित थे। आज लोग हमारे परिवार का मिसाल के तौर पर उदाहरण देते हैं। हमारे गांव ही नहीं आसपास के गांव की लड़कियों ने भी पढ़ाई शुरू कर दी है। यदि कोई व्यवधान आता है तो हमारे घर और परिवार का उदाहरण देकर जिद करके लड़कियां स्वयं पढ़ने का निर्णय ले रही हैं। कविता सोलंकी की विकास यात्रा ने न सिर्फ अपने परिवार को संबल दिया, बल्कि आसपास के गांव की बेटियों के लिए शिक्षा का रोल मॉडल बन गयी हैं।

सत्यवती के सपनों को लगे पंख

सागर जिले के बसाहरी गांव की सत्यवती ने अपनी मेहनत से सपनों को पंख लगाये हैं। सत्यवती ने बताया कि वर्ष 2003 में उनके पिता की मृत्यु के साथ ही परिवार पर संकट के बादल छा गये। चार भाई–बहन के इस परिवार को उनके मामाजी ने सहयोग दिया और मां ने मजदूरी कर मुझे पढ़ाया। मैंने घर में बच्चों की ट्यूशन ली, समोसे बनाकर बेचे, पर घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। विपन्नता के उसी दौर में मुझे दीनदयाल उपाध्याय कौशल उन्नयन योजना के बारे में पता चला। ट्रेनिंग के साथ 100 रुपये प्रतिदिन मानदेय भी दिया जाता था। बमुश्किल मां को मनाया। मुझे तीन महीने की इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर अकाउंट की ट्रनिंग दी गयी।

अब मैं बुदनी में नौकरी कर रही हूं। पहले मैं 12वीं पास थी। अब मैंने बी.ए. तक की पढ़ाई कर ली है। मेरी 18 हजार रुपये प्रतिमाह की मासिक आय है। अब हमारा परिवार अच्छे से जीवनयापन कर रहा है। हमारा घर कच्चा है। बरसात में पानी टपकता है। इसलिए मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा घर बनाऊँ। जल्दी ही अपने इस सपने को पूरा करूंगी। अब जल्दी ही हमारा अपना घर होगा। हमारा सपना पूरा होगा। सत्यवती ने बताया कि दीनदयाल कौशल उन्नयन योजना ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। इससे मेरे सपनों को पंख लग गए हैं।

पति के साथ मिलकर उद्योग खड़ा किया जीना भाटी ने

धार जिले के अचाना गांव की जीना भाटी ने स्वयं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने के साथ परिवार के लिए अगरबत्ती बनाने का व्यवसाय खड़ा कर दिया। जीना ने बताया कि उन्नति स्व–सहायता समूह से जुड़ने के पहले उनके पति शेर सिंह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और वे मात्र 12वीं पास थीं। कहीं नौकरी नहीं मिली तो घर पर ही सिलाई का कार्य करती थीं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। हम आर्थिक परेशानी में रहते थे। वर्ष 2013 में जीना उन्नति स्वसहायता समूह से जुड़ीं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों, अधिकारियों ने मार्गदर्शन दिया। उन्हें समूह की रिपोर्ट लिखने की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के उपरांत वे समूह की बुक कीपर बन गयी। जीना ने गांव में समूह बनाने और बुक कीपिंग के कार्य का सिलसिला आगे बढ़ाया। उन्होंने गांव में 13 समूह बनाये। समूह की संख्या बढ़ाने और बुक कीपिंग के कार्य ने गति पकड़ी और फिर जीना ग्राम संगठन की भी बुक कीपर बन गयी। जीना निरन्तर परिश्रम कर संकुल स्तरीय संगठन की भी रिपोर्ट लिखने लगी। जीना के कार्य की उत्कृष्टता ने उन्हें कम्युनिटी मास्टर ट्रेनर बना दिया। वे बुक कीपिंग का कार्य भी करती और ट्रेनिंग भी देती थी। उन्होंने पति के साथ मिलकर अगरबत्ती बनाने का कार्य शुरू किया। पहले दो मशीन खरीदकर शुरुआत की। काम आगे बढ़ा तो 4 मशीन, फिर 5 मशीन और अब 10 मशीनें खरीद ली हैं। उन्होंने अपने गांव में अगरबत्ती निर्माण का छोटा कारोबार खड़ा कर लिया है। उनके उद्योग में स्वसहायता समूह की 10 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। अपने अगरबत्ती निर्माण के व्यवसाय के साथ जीना और उनके पति गांव के अन्य निर्माण करने वाले लोगों को अगरबत्ती निर्माण के लिये कच्चा सामान लाकर देते हैं। जीना ने बताया कि वह पहले वह मात्र 12वीं तक ही पढ़ी थीं। अब उसने अपने काम के साथ–साथ पढ़ाई भी की और बी.ए. तक शिक्षा प्राप्त कर ली है। उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछने पर जीना ने बताया कि अब हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे पति अगरबत्ती उद्योग में 25–30 हजार रुपये महीना कमा लेते हैं और हम ट्रेनिंग के माध्यम से 15 हजार रुपये कमा रहे हैं। एक समय तंगी में दिन गुजारने वाले इन दंपत्तियों का जीवन आजीविका से जुड़ने और जीना के निरंतर परिश्रम से सुखद समृद्ध है।

मध्यप्रदेश आजीविका मिशन
सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र

मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन की स्व–सहायता समूहों द्वारा सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

प्रदेश के 39 जिलों में संचालित इन सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर तुलनात्मक दृष्टि से अत्यन्त कम कीमत पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। मात्र 150 रुपये में आवास तथा 200 रुपये में भोजन की व्यवस्था। सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने वाली समूह की महिलाएं इन केन्द्रों को अपने परिवार की तरह चलाती हैं। अपनी पसंद का मीनू तय करती हैं।

दैनिक उपयोग में आने वाले जरूरी सामान, साबुन, सर्फ, हेण्डवॉश, मसाले, फिनाइल, सेनेटरी नेपकीन सभी कुछ समूहों का स्वयं का उत्पाद है। इन केन्द्रों पर एल.सी.डी., सी.सी.टी.व्ही. कैमरा, सेनेटरी वेन्डिंग मशीन, वॉटर कूलर की सुविधा उपलब्ध है।

समूह की महिलाएं ट्रेनिंग से प्राप्त आय से आपस में कार्यों का भुगतान करती हैं। सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था को लेकर बड़वानी जिले के ग्राम भीलखेड़ा की तारा कोचले ने बताया कि वे श्री गणेश स्व–सहायता समूह से 2012 से जुड़ीं। पहले वे 12वीं पास थीं। अतिथि शिक्षक के रूप में मात्र 2500 रुपये महीने की आय थी। गांव में पहले स्व–सहायता समूह का निर्माण किया गया। तारा ने बताया कि उन्होंने इसके बाद गांव में ही 16 समूह बनाए। एक समूह बनाने पर उन्हें 400 रुपये का मानदेय प्राप्त होता है। इस तरह तारा ने ट्रेनिंग देना शुरू की। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने समूह अवधारणा, ग्राम संगठन अवधारणा, सी.एल.एफ. अवधारणा, माइक्रो क्रेडिट प्लान, संकुल स्तर पर सी.एल.एफ. असमानता दूर करने के लिए जेंडर ट्रेनिंग, लिंग भेद दूर करना इस तरह ट्रेनिंग देकर गांव के समूह की दीदीयों को ट्रेनिंग दी। आजीविका स्व–सहायता समूह की महिलाएं आपस में एक दूसरे को दीदी संबोधन से बुलाती हैं।

तारा ने बताया कि उन्होंने जब गांव में प्रशिक्षण देकर गांव की दीदीयों को तैयार कर दिया तो वह जिले में ट्रेनिंग देने लगी। अब तक कितनी ट्रेनिंग दी यह पूछने पर

तारा ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए बताया कि लगभग हजारों की संख्या में ट्रेनिंग दी है। जब वह बड़वानी जिले की जिला मास्टर ट्रेनर बन गई तो बड़वानी संकुल स्तर की ट्रेनिंग के लिये बाहर जाना पड़ता था। जिससे महिलाओं को परेशानी होती थी। फिर विचार बना कि जिले में ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। मन में विचार आते ही बी.आर. भवन को ट्रेनिंग सेन्टर बनाने के लिये जिला कलेक्टर श्री अमित तोमर से मांग की और हमारा अपना जिले का ट्रेनिंग सेंटर बन गया।

यह ट्रेनिंग सेंटर इन समूह की महिलाओं का सपना है। यह मात्र प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। यह समूहों का सह–अस्तित्व है, जिसे वे मिल–जुल कर चलाती हैं। तारा का कहना है कि ट्रेनिंग सेन्टर में ट्रेनिंग में दी जाने वाली सुविधाएं हमारी समूह की महिलाओं की आजीविका से जुड़ी हुई हैं। इससे हम सभी को रोज़गार मिलता है। इसीलिए हमारी गुज़ारिश है कि ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण इन समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण संस्थान से संचालित किये जाएं। हमारे यहां 30 से 60 लोगों के प्रशिक्षण की सुविधा है।

हम अपने समूह की ट्रेनिंग देने के अलावा शेष समय में शासन के अन्य विभागों को ट्रेनिंग के लिए संस्थान में सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। हम समूह की महिलाओं ने अपने अनुभव से सीखा है और यह केन्द्र खड़ा किया है और इसी के लाभ से केन्द्र की संपत्ति अर्जित की है। यदि हमें अवसर मिले तो हम अप्रत्याशित परिणाम ला सकते हैं।

सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र (CTC) की स्थापना के प्रमुख बिन्दु :

- समुदाय सदस्यों का सतत् प्रशिक्षण हो सके।
- प्रभावी लागत पर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा सके।
- सरलता से प्रशिक्षण स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
- सामुदायिक प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जावे।
- प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु अनुकूल वातावरण मिल सके।
- सामुदायिक स्वामित्व की भावना का विकास हो।
- सभी की सहभागिता हो।
- वृद्धों के मनोरंजन एवं बच्चों के समग्र विकास हेतु एक संस्थान के रूप में कार्य करें।
- कम लागत कृषि एवं पशुधन सुधार (उन्नत नस्ल) का लाईव प्रदर्शन किया जा सके।
- उत्कृष्ट गतिविधियों एवं प्रयासों के प्रसार स्थल के रूप में कार्य करें।
- सामुदायीकरण की ओर बढ़ते कदम के रूप में स्थापित हो।

सामुदायिक प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य सुविधाएं

- शासकीय भवन जिसमें प्रशिक्षण कक्ष, भोजन कक्ष, आवास कक्ष, पुस्तकालय, शौचालय, बिजली एवं पेयजल की व्यवस्था हो।
- भवन का हस्तांतरण म.प्र. डे–राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला इकाई के संबंधित संकुल स्तरीय संगठन को प्राप्त हो चुका हो।
- भवन परिसर में बाह्य गतिविधियों एवं लाइव प्रदर्शन हेतु पर्याप्त स्थान हो।
- भवन के आवास कक्ष में ठहरने हेतु पलंग तथा अन्य व्यवस्था हो।
- सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र में समस्त न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं युक्त

भोजन कक्ष हो।
- सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र में टी.वी. सेट, कम्प्यूटर, पुस्तकालय हो।
- पुस्तकालय जिसमें बच्चों एवं वृद्धों सभी के लिये ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक पुस्तकें हों जैसे कि आगे आयें लाभ उठायें, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रकाशन एवं उत्कृष्ट कार्यों के वीडियो हों।
- म.प्र. डे–राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के महत्वपूर्ण परिपत्र (Circulars) उपलब्ध हों।

सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र की गतिविधियां

- समुदाय सदस्यों एवं समुदाय स्रोत व्यक्तियों का प्रशिक्षण।
- मिशन स्टाफ का प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षित समुदाय स्रोत व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण संचालन।
- प्रशिक्षणार्थियों के मध्य परस्पर संवाद
- समूह चर्चा।
- उत्कृष्ट कार्यों के वीडियो शो।

निम्न विषयों पर सतत् व अनिवार्य संवेदीकरण

- जेण्डर समानता।
- सामाजिक सुरक्षा।
- स्वच्छ भारत मिशन।
- ग्राम सभा में सहभागिता।
- वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण।
- सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह, सेनेटरी पेड का उपयोग एवं पोषण आहार आदि।
- कम लागत कृषि, आजीविका पोषण वाटिका, नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट एवं जैविक कृषि।
- म.प्र. डे–राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में किये गये अभिनव एवं सफल प्रयास।
- ग्रामीणों हेतु संचालित शासन की विभिन्न योजनायें।

सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु राज्य आजीविका मिशन का सहयोग

- 35 पलंग, चादर, कंबल, गद्दे की उपलब्धता।
- 50 कुर्सियां।
- कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर।
- एल.ई.डी.।
- पुस्तकें एवं स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु राशि रु. 5,000/–
- रसोई के सामान के क्रय हेतु राशि रु. 5,000/–
- डिजिटल कैमरा।
- एक बार पुताई एवं आंशिक मरम्मत हेतु सहयोग।
- पेयजल व्यवस्था (RO/AQUAG)
- उत्कृष्ट कार्यों के वीडियो।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने में सहयोग।
- प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करने में सहयोग।
- प्रारंभिक हैण्ड होल्डिंग सहयोग एवं साप्ताहिक भ्रमण।
- प्रशिक्षकों का चिन्हांकन एवं उनकी क्षमता वृद्धि।
- संकुल स्तरीय संगठन के समन्वय से सामुदायिक प्रशिक्षकों का विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार।
- प्रशिक्षकों का श्रेणीकरण (Grading)
- प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण।
- उपार्जन (Procurement) एवं लागत निर्धारण (Rate Fixation) में सहयोग।
- अंकेक्षण में सहयोग।
- सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु व्यवस्थित भवन के चिन्हांकन में सहयोग।
- सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं पंजीयन में सहयोग।
- सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन में सहयोग।
- मॉड्यूल, शेड्यूल एवं प्रशिक्षण कैलेण्डर का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कराना।
- सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र का अधिकाधिक एवं अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित हो।
- पारदर्शिता, समुचित अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- संकुल स्तरीय संगठन को कम से कम छः माह तक हैण्ड होल्डिंग सहयोग सुनिश्चित हो।
- प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रशिक्षण हेतु निर्धारित समयावधि में व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण के दौरान मिशन स्टाफ का प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुश्रवण एवं सहयोग हेतु प्रशिक्षण केन्द्र का भ्रमण सुनिश्चित करना।
- समुचित दस्तावेज संधारण में सहयोग।
- प्रशिक्षण हेतु योग्य स्रोत व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करना।

सशक्तिकरण की मिसाल श्रीमती बसु

हमने अक्सर सुना है सशक्त महिला, सशक्त समाज का निर्माण करती है। इस बात को हमने प्रत्यक्ष महसूस किया। श्रीमती बसु से मिलकर। धार जिले के मनावर जनपद में निगरानी पंचायत निवासी बसु जी का आत्मविश्वास उनके विकास की गाथा स्वतः व्यक्त कर रहा था। वे आजीविका मिशन के फेडरेशन की कोषाध्यक्ष हैं और अशिक्षित होने के बावजूद करोड़ों के टर्नओवर का हिसाब अंगुलियों पर दे देती हैं। श्रीमती बसु ने बताया कि उनके पास

सशक्त महिला, सशक्त समाज का निर्माण करती है। इस बात को हमने प्रत्यक्ष महसूस किया। श्रीमती बसु से मिलकर धार जिले के म नावर जनपद में निगरानी पंचायत निवासी बसु जी का आत्मविश्वास उनके विकास की गाथा स्वतः व्यक्त कर रहा था। वे आजीविका मिशन के फेडरेशन की कोषाध्यक्ष हैं और अशिक्षित होने के बावजूद करोड़ों के टर्नओवर का हिसाब अंगुलियों पर दे देती हैं। बसु ने बताया कि पहले हम इतने परेशान थे, साहूकार के ब्याज के बोझ तले हम दब गये और फिर तो साहूकार ने पैसा देना भी बंद कर दिया। फिर मैं 2013 में आजीविका मिशन से जुड़ी और गांव में राधा स्वामी स्व-सहायता समूह बनाया और फिर हमारा जीवन ही बदल गया।

मात्र चार बीघा जमीन थी। खेती से पूर्ति नहीं होती थी। इसलिए उनके पति जगन्नाथ मजदूरी करते थे। बसु ने बताया कि हमारे दो बच्चे हैं। मन में लगता था कि इन बच्चों को हम कैसे पढ़ायेंगे? हम परेशान थे, साहूकार के ब्याज के बोझ तले हम दब गये और फिर तो साहूकार ने पैसा देना भी बंद कर दिया। फिर मैं 2013 में आजीविका मिशन से जुड़ी और गांव में राधा स्वामी स्व-सहायता समूह बनाया। समूह बनने के बाद हमें प्रशिक्षण दिया गया। मैंने प्रशिक्षण देना शुरू किया

मुख्य बातें

- **साढ़े तीन करोड़ का व्यापार।**
- **सभी महिलाएं हस्ताक्षर करती हैं, कोई अंगूठा नहीं लगातीं।**
- **साहूकार से ऋण नहीं लेतीं।**
- **जो शिक्षित हैं वे स्कूल के कमजोर बच्चों को पढ़ाती हैं।**
- **सभी महिलाओं के बच्चे स्कूल जाते हैं।**
- **मध्यान्ह भोजन का समूह की महिलाएं स्वयं जाकर अवलोकन करती हैं।**
- **हर घर में शौचालय अनिवार्य।**
- **गीला-सूखा कचरा अलग रखने के लिए डब्बों की व्यवस्था।**
- **हर महिला आजीविका सेनेटरी नेपकीन का ही उपयोग करती है।**
- **नशा मुक्ति, बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों के विरोध में आवाज उठाती हैं।**
- **लड़का-लड़की में भेदभाव को मिटाने के लिए संकल्पित ।**
- **बैठक में घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर जाती हैं और जरूरतमंद महिला को देती हैं।**

जिसमें समूह का परिचय, बैठक लेना, बचत के लिए पैसा एकत्र करना। ट्रेनिंग में मुझे 424 रुपये प्रतिदिन और खाना आदि मिलता था। मैंने 6 समूह बनाये और फिर मैं मास्टर ट्रेनर बन गयी। मैंने दो लेवल पर काम किया। एक तो ट्रेनर बनकर ट्रेनिंग दी। दूसरा समूह बचत से लोन लेकर मकान बनाया, कुआं गहरीकरण किया, सिंचाई के साधन जुटाये, इससे हमारी खेती सुधरी, पति ने मजदूरी छोड़ दी और किसानी करने लगे। साथ में हमने भैंस पालन कर दूध का व्यवसाय शुरू किया। मुर्गी पालन किया। इससे हमारी आय कई गुना बढ़ गयी हमें साहूकार से छुटकारा मिल गया। मैंने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया। एक बेटे ने बायो पॉलिटेक्निक किया, दूसरा इंजीनियर बन गया। एक समय था जब हमसे कोई बात नहीं करता था। समूह से जुड़ने से हमारा मान-सम्मान बढ़ा है। आज मैं 28 गांव के संकुल की कोषाध्यक्ष हूं। हमारे फेडरेशन से 450 समूहों में 4500 बहनें जुड़ी हैं। अपने काम के बारे में श्रीमती बसु ने कहा मैं ट्रेनिंग देने के साथ लोगों की समस्याएं सुलझाती हूं उन्हें प्रेरित करती हूँ। हैदराबाद, आंध्रप्रदेश दिल्ली, भोपाल में आकर काम करती हूं।

पहले तो मैं मनावर में ही गुम हो जाती थी। आज अपने आप प्रदेश की राजधानी अकेले चली आती हूं। जब श्रीमती बसु यह बता रही थीं, तब उनके चेहरे की कांति और आत्मविश्वास को देखकर लगा, यही है वास्तविक सशक्तिकरण। श्रीमती बसु के नेतृत्व में चलने वाले फेडरेशन का वार्षिक टर्न ओवर 1 करोड़ 23 लाख 20 हजार है। साढ़े तीन करोड़ की पूंजी से व्यापार चल रहा है। इनके आजीविका मिशन में खुद अपना व्यवहार और अपना बाजार है। सशक्तिकरण के प्रमाण को साबित करने के लिए इन स्वसहायता समूह की महिलाओं को किसी मंच की आवश्यकता नहीं है। वे स्वतः ही अपना मंच हैं।

स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने तैयार किए मास्क और पीपीई किट्स

कोरोना संक्रमण में महिला स्वसहायता समूह बनी वॉरियर

प्रदेश में फैले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार विभिन्न उपाय कर रही है। वहीं, प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में रहने वाली महिलाएं भी स्व-सहायता समूहों की मदद से कोरोना संक्रमण के विरुद्ध जारी इस लड़ाई में वॉरियर के रूप में सामने आई हैं। दरअसल महिलाओं का यह समूह ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से मास्क, पीपीई किट, सेनेटाइजर सहित हैंडवॉश आदि तैयार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है।

स्व-सहायता समूह ने बनाए एक लाख से अधिक मास्क

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उज्जैन जिले में 181 महिला स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों ने एक लाख से अधिक मास्क तैयार किए हैं। यह मास्क स्वास्थ्य विभाग सहित खाद्य और महिला-बाल विकास विभाग तथा पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, नगर निगम, लोक निर्माण, मेडिकल स्टोर और ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ महिलाएं पीपीई किट्स भी तैयार कर रही है। इन महिलाओं ने प्रतिदिन 150 पीपीई किट्स तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को दे दिए हैं।

जुगाड़ू हैंडवॉश सिस्टम

उज्जैन में युवाओं ने मात्र 66 रुपए खर्च की पैडल वाला हैंडवॉश सिस्टम तैयार किया है। इसे चामुण्डा माता मंदिर चौराहा, देवास गेट, रेलवे स्टेशन, फ्रीगंज मजदूर चौराहा में रह रहे बेघर लोग खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे लोग बिना लिक्विड साबुन की बॉटल को हाथ लगाए पैर से पैडल दबाकर हैंडवॉश

एवं पानी से हाथ धोकर संक्रमण से बचाव कर रहे हैं। इस जुगाडू हैंडवॉश सिस्टम में एक बॉटल में डिटॉल लिक्विड और दूसरी बॉटल में पानी रखा गया है। इसे दिन में दो बार रिफिल किया जा रहा है। युवा वर्ग संक्रमण के इस दौर में यह हैंडवॉश सिस्टम अन्य जगहों पर भी लगाने का प्रयास कर रहा है।

गरीब महिलाएं नि:शुल्क बांट रहीं खुद से तैयार मास्क

कोरोना महामारी को हराने के लिए सभी प्रदेशवासी एकजुट होकर जुटे हैं। नरसिंहपुर जिले में ग्रामीण अंचल की महिलाएं बड़े पैमाने पर मास्क बनाकर जरूरतमंदों के साथ-साथ गरीब परिवारों को मुफ्त में बांट रही हैं। ये महिलाएं आजीविका मिशन में गठित स्व-सहायता समूह की सदस्य हैं।

ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाये जा रहे मास्क मनरेगा मजदूरों, कृषि उपज मंडियों में हम्मालों और कृषि कार्य में जुड़े लोगों को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

इस कार्य में ग्राम देवरी के लक्ष्मी स्व-सहायता समूह, चांवरपाठा के गांधी चौक समूह, ग्राम खुलरी के प्रगति समूह एवं दुर्गा स्व-सहायता समूह के सदस्यों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण महिलाओं का समूह बना रहा है सेनेटाइजर और मास्क

मुरैना जिले के ग्राम पुरावसखुर्द में गरीब महिलाओं ने नवंबर 2018 में शिवशक्ति स्व-सहायता समूह का गठन कर टिफिन सेंटर और पार्लर का संचालन शुरू किया। साथ ही सेनेटरी पैड्स का निर्माण भी शुरू किया। इस तरह यह समूह आर्थिक रूप से सशक्त बना है। कोरोना संक्रमण के दौर में समूह की महिलाओं ने सेनेटाइजर और मास्क बनाने का काम भी शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है।

शिवशक्ति महिला स्व-सहायता समूह कोरोना संक्रमण में अभी तक एक हजार सेनेटाइजर बॉटल्स और 30 हजार 850 मास्क बनाकर पंचायतों, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवा चुका है। समूह की महिलाओं ने बाजार से 50 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदकर 10 मास्क बनाने से काम की शुरुआत की। यह मास्क 10 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेचती हैं। महिलाओं को प्रति मास्क डेढ़ से दो रुपये तक की बचत होती है। मास्क बनाने के काम से समूह की महिलाओं ने अभी तक 60 हजार रुपए कमाए हैं। समूह में 6 महिलाएं हैं, जिन्हें समूह की संचालिका संतोषी तोमर योग्यता के आधार पर मास्क बनाने के काम के लिये क्रमशः 8 हजार, 6 हजार, 5 हजार और 3 हजार रुपए का भुगतान कर चुकी हैं।

महिला समूह ने बनाए 300 पीपीई किट्स, 28 हजार मास्क

होशंगाबाद जिले की जनपद पंचायत बाबई में उजाला फेडरेशन स्व-सहायता समूह की महिलाएं कोरोना वॉरियर्स को पीपीई किट्स, मास्क, सेनेटाइजर और साबुन बनाकर उपलब्ध करा रही हैं। समूह की महिलाओं ने अब तक 300 पीपीई किट्स एवं 28000 मास्क बनाकर प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं। पीपीई किट्स का निर्माण नॉन-वोवन मटेरियल से बनाकर उसे सेनेटाईज कर स्वास्थ्य केन्द्र और ग्राम पंचायतों में प्रदान किया जा रहा है। कोविड-19 की आपात स्थिति में स्व-सहायता समूह की महिलाएं लॉकडाउन का पूर्ण पालन कर पीपीई किट्स और मास्क बना रही हैं। पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में समूह ना सिर्फ कोरोना वॉरियर्स की सेवा में लगा है बल्कि इससे ये महिलाएं कोरोना के विरुद्ध युद्ध में उनकी सहभागिता से प्रसन्न हैं और दिन-प्रतिदिन आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बन रही हैं।

● **प्रवीण पाण्डेय**

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियाद हैं नर्सें

ये पूरा साल है नर्स एवं मिडवाइव्स वर्ष

नर्सों को समर्पित है इस बार का वर्ल्ड हेल्थ डे

नर्स, दाई, एएनएम और आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे स्वास्थ्य विभाग की बुनियाद और रीढ़ हैं। इनके उपचार और सेवा से ग्रामीण परिवेश की महिलाएं बेहतर स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। इनकी नि:स्वार्थ सेवा का ही परिणाम है कि गांव-गांव में आज उपचार और दवा की समुचित व्यवस्था है। इन्हीं के कारण आज गांवों में सुरक्षित प्रसव हो रहा है, विभिन्न तरह की दवाइयां बिना किसी रुकावट के बंट रही हैं, हर तरह की जांचें हो रही हैं, स्वास्थ्य शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो रहे हैं, टीकाकरण और स्वास्थ के प्रति ग्रामवासियों में जागरूकता बढ़ रही है। इस बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य दिवस नर्सों को समर्पित किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है। इसका मकसद दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। वर्तमान में दुनियाभर के 150 से ज्यादा देशों में डब्ल्यूएचओ के 7 हजार से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। इस संगठन के 6 क्षेत्रीय कार्यालय और 150 से ज्यादा राष्ट्रीय कार्यालय हैं। डब्ल्यूएचओ मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है। इसका मकसद दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। वर्तमान में दुनियाभर के 150 से ज्यादा देशों में डब्ल्यूएचओ के 7 हजार से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। इस संगठन के 6 क्षेत्रीय कार्यालय और 150 से ज्यादा राष्ट्रीय कार्यालय हैं। डब्ल्यूएचओ मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। डब्ल्यूएचओ ने अपने स्थापना दिवस यानी कि 7 अप्रैल 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत की थी। स्वास्थ्य के मुद्दों और समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में हर साल दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके लिए एक खास विषय यानी कि थीम का चुनाव किया जाता है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नवंबर 1949 में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी थी, तब से लेकर यह संस्था देश में सक्रिय तौर पर कार्यरत है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का कंट्री कार्यालय दिल्ली में है और देशभर में उसकी उपस्थिति है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर तमाम स्वास्थ्य संगठनों समेत सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाएं और एनजीओ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इस दिन विशेष हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं, इसके साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़-नाटकों का आयोजन भी होता है और कला प्रदर्शनी भी लगाई जाती हैं। स्कूल-कॉलेजों में निबंध और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं।

डब्ल्यू.एच.ओ. के कार्य व उद्देश्य

- अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना।
- संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं, के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना।
- सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिये सहायता प्रदान करना।

- ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं।

सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइव्स :

डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रतिवर्ष स्वास्थ्य दिवस के लिये एक विशेष थीम तय की जाती है। इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइव्स (Support Nurses and Midwives) तय की गई है।

फ़्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म के 200 साल पूरे होने पर 2020 को 'नर्स और दाई के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। यह उन स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मान देने का एक अवसर है जो दुनिया भर में लोगों को विभिन्न आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। बीमारियों की रोकथाम, निदान और इलाज के साथ-साथ प्रसव के दौरान देखभाल करने जैसी विशेषज्ञ सेवाओं के अलावा, नर्स और दाईयां मानवीय आपात स्थिति और संघर्ष में फंसे लोगों को भी सेवाएं प्रदान करती हैं।

यूएन एजेंसी के अनुसार विश्व भर में लगभग 2 करोड़ 20 लाख नर्सें और 20 लाख दाइयां हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य कर्मचारियों की कुल संख्या का आधा हिस्सा हैं। इस पूरे वर्ष यूएन एजेंसी विभिन्न उपायों के ज़रिए ये सुनिश्चित करेगी कि नर्सें और दाइयां अपना काम पूरी क्षमता के साथ कर सकें। इसके लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा जैसे- अधिक विशेषज्ञ नर्सों की नियुक्ति, दाइयों और नर्सों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के केंद्र में लाना और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने व बीमारी की रोकथाम में उनकी भूमिका आदि।

आधुनिक नर्सिंग की जनक मानी जाती हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल

फ्लोरेंस नाइटिंगेल को त्याग और करुणा की देवी कहा गया है। नर्सिंग और अस्पताल चलाने में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के तौर-तरीके इस कदर मशहूर हुए हैं कि इन्हें कई देशों ने अपनाया है। उसे आधुनिक नर्सिंग की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन समाज सेवा, मानव सेवा का अनुपम उदाहरण है। आकर्षक व्यक्तित्व की धनी, नाइटिंगेल ने जिस तरह निःस्वार्थ भाव से मानव सेवा की, वह अमूल्य है। नर्सों का सेवा-भाव फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ही देन है। मानव-धर्म सही अर्थों में क्या है, किसे कहा जाना चाहिए, इसकी प्रेरणा हमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन से मिलती है।

आधुनिक नर्सिंग की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस में 12 मई सन् 1820 को हुआ था। वर्ष 2020 में उनका 200वां जन्मदिवस है। उन्होंने नर्सिंग के जरिए लोगों की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। उनके मन में युवावस्था के दौरान नर्स बनकर सेवा करने की ऐसी चाह जागी कि माता-पिता के कड़े विरोध के बाद भी उन्होंने अपनी यह जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने नर्सों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण हासिल किया और पारिवारिक विरोध के बावजूद एक सामाजिक रुढ़ियों को तोड़ते हुए सेवाभावी संस्था से जुड़ गईं। इसके बाद वे सम्पूर्ण यूरोप की यात्रा पर गयीं। वहां उन्होंने जगह-जगह पर ऐसे लोगों से सम्पर्क किया, जो सेवा भाव की प्रबल इच्छा रखते थे। सन् 1853 को फ्लोरेंस को जब रोगी महिलाओं की एक संस्था के प्रबन्धन का दायित्व सौंपा गया, तो उन्होंने अपने परिश्रम, लगन और कुशल प्रबन्धन से उस संस्था को इतना विकसित एवं सुविधायुक्त किया कि उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैलने लगी।

क्रीमिया युद्ध के खत्म होने पर, फ्लोरेंस ने दुनियाभर में नर्सिंग के क्षेत्र में और अस्पताल चलाने के तरीकों में बहुत बड़े सुधार किए। सन् 1860 में, लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नर्सों की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने 'नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल' की स्थापना की। बाद में एक रोग की वजह से फ्लोरेंस बिस्तर से उठ नहीं सकीं। मगर फिर भी वह रोगियों की देख-रेख के तौर-तरीकों और अस्पतालों के संचालन में सुधार लाने की कोशिश में लगी रहीं और इसके लिए उन्होंने किताबें लिखीं, अंततः 13 अगस्त

1910 को लंदन में उनका निधन हो गया।

फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में नर्सिंग सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा नर्सिंग का यह राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाता है। हर साल भारत में राष्ट्रपति शानदार काम करने वाली नर्सों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवॉर्ड से सम्मानित करते हैं।

- सन् 1958 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसायटी की सदस्य बनने वाली पहली महिला थीं।
- सन् 1859 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी सबसे मशहूर किताब, 'नोट्स ऑन नर्सिंग ऐंड नोट्स ऑन हॉस्पिटल्स' प्रकाशित की।
- 1860 में फ्लोरेंस के नाम पर ब्रिटेन में नर्सिंग स्कूल की स्थापना हुई।
- फ्लोरेंस को ब्रिटेन की सरकार ने 1907 में 'ऑर्डर ऑफ़ मेरिट' के सम्मान से नवाज़ा था। ये सम्मान पाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल पहली महिला थीं।
- क्रीमिया युद्ध के बाद इनको 'द लेडी विद द लैंप' का नाम भी दिया गया। उनको जन्मदिवस 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस नर्स के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया जाता है।

नर्स और दाई स्वास्थ्य प्रणालियों की हैं रीढ़

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगले दशक में अगर स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के सपने को साकार करना है तो उसके लिए 90 लाख अतिरिक्त नर्सों और दाइयों की आवश्यकता होगी। इसी उद्देश्य के साथ इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी और उसके साझेदार संगठन इन महत्वपूर्ण स्वास्थ्यकर्मियों में अधिक निवेश करने की वकालत करेंगे। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस के अनुसार, नर्सें और दाइयां हर स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ हैं। 2020 में हम सभी देशों से नर्सों और दाइयों पर निवेश करने का आह्वान करते हैं ताकि सर्वजन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता पूरी हो सके।

नर्स को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं

नर्स हर पल बीमार, घायल और बूढ़ो की सेवा करने के लिए तैयार रहती है। नर्स प्यार और ममता के साथ मरीज़ की देखभाल करती है, उसकी हिम्मत बढ़ाती है और उसकी रक्षा करती है। जून 1999 में हुए नर्सों के अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल के सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के डायरेक्टर जनरल डॉ. ग्रो हार्लेम ब्रन्टलान ने कहा था कि स्वास्थ्य-सेवा के पेशे में नर्सों की अहमियत बहुत बड़ी है, इसलिए वे सारी दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य के

युद्ध के दौरान कहलाईं 'लेडी विद लैंप'

सन् 1954 में युद्ध छिड़ गया था, अखबारों में इस आशय की खबरें आने लगीं कि युद्ध में वीर घायल सैनिकों की चिकित्सा के लिए वहां चिकित्सकों व नर्सों की आवश्यकता है। तब उन्होंने क्रीमिया में घायल सैनिकों की सेवा करने का बीड़ा उठाया। सबसे पहले उन्होंने 38 नर्सों के साथ मिलकर अस्पताल की सफाई की जहाँ चूहों ने काफी गंदगी मचा रखी थी। उस अस्पताल में साबुन, वॉशबेसिन और तौलिए जैसी ज़रूरी चीज़ें नहीं थीं। साथ ही अस्पताल में बिस्तरों, गद्दों और पट्टियों की भी कमी थी। फ्लोरेंस और बाकी नर्सों ने एक चुनौती समझकर इन सभी मुश्किलों का सामना किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अस्पताल की हालत सुधारने पर ध्यान दिया। उनको पता था कि अस्पताल की सही हालत होने पर ही सैनिकों को बचाया जा सकता है। उन्होंने बेहतर चिकित्सीय उपकरण खरीदे। मरीजों के लिए अच्छे खाने का बंदोबस्त किया। नालियों की सफाई करवाई। अपनी टीम के साथ वार्डों की सफाई की। अस्पताल में एक रसोई का बंदोबस्त किया। जख्मी सैनिकों की सही से देखभाल की। उन्होंने घायलों को उचित तरीके से नहलाने, जख्मों की ड्रेसिंग करने और भोजन कराने पर ध्यान दिया। नतीजा यह हुआ कि सैनिकों की मौत की संख्या में गिरावट आई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने मरीजों की देखभाल में दिन-रात एक कर दिया। रात के समय में जब सब सो रहे होते थे, वह सैनिकों के पास जातीं। यह देखतीं कि सैनिकों को कोई तकलीफ तो नहीं है। जो लोग खुद से लिख नहीं पाते थे, उनकी ओर से वह उनके घरों पर पत्र भी लिखकर भेजती थीं। रात के समय जब वह मरीजों को देखने जातीं तो लालटेन हाथ में लेकर जाती थीं। इस वजह से सैनिकों ने उनको 'लेडी विद लैंप' कहना शुरू कर दिया था।

घोषणा

फार्म 4 (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश पंचायिका

1.	प्रकाशन स्थान	:	भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	:	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	:	डॉ. सुदाम खाड़े प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	XXX
	पता	:	मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
4.	प्रकाशक का नाम	:	बी.एस. जामोद, संचालक पंचायत राज संचालनालय, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के पास, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	XXX
	पता	:	पंचायत राज संचालनालय, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के पास, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
5.	संपादक का नाम	:	रंजना चितले
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	XXX
	पता	:	मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों, तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	:	आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के पास, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

मैं बी.एस. जामोद एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

बी.एस. जामोद

दिनांक 1.3.2020 **प्रकाशक के हस्ताक्षर**

लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। ...हर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में काबिल स्वास्थ्य-सेवकों में नर्सों और दाइयों की संख्या कुल मिलाकर 80 प्रतिशत है और इस संख्या से साफ ज़ाहिर होता है कि 21वीं सदी में 'सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य' का लक्ष्य हासिल करने में वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़रूरी सुधार ला सकती हैं। सचमुच अलग-अलग तरीकों से स्वास्थ्य-सेवा करके उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि नर्सें स्वास्थ्य-सेवा के ज़्यादातर दलों की बुनियाद हैं।

नर्स : एक व्यक्ति जिसने नर्सिंग की पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी की हो और नर्स बनने के लिए जितनी पढ़ाई-लिखाई और काम का तजुर्बा ज़रूरी है वह हासिल किया हो।

रजिस्टर्ड नर्स : एक नर्स जिसने स्टेट बोर्ड की परीक्षा देकर डिग्री हासिल की हो और जो कानूनन 'रजिस्टर्ड नर्स' के नाम से काम कर सकती है / कर सकता है।

क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट : एक रजिस्टर्ड नर्स, जिसने नर्सिंग के किसी एक क्षेत्र में खास ज्ञान, कौशल और काबिलियत हासिल की हो।

नर्स-मिडवाइफ (दाई) : एक नर्स जिसने नर्सिंग और प्रसव के क्षेत्र में ज्ञान हासिल किया हो।

प्रैक्टिकल नर्स : एक नर्स जिसे नर्सिंग के बारे में तजुर्बा तो है, लेकिन उसने न तो नर्सिंग की पढ़ाई की है और न ही इस क्षेत्र में कोई डिग्री हासिल की है।

लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स : एक नर्स जिसने प्रैक्टिकल नर्सिंग स्कूल में ट्रेनिंग हासिल की है और जो कानूनन रूप से लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स के तौर पर काम कर सकती है।

भारतीय नर्सिंग परिषद् : इसका गठन, नर्सिंग अधिनियम, 1947 के तहत किया गया है। यह परिषद् नर्सों, दाइयों, सहायक नर्स दाइयों तथा स्वास्थ्यचरों के प्रशिक्षण का समान स्तर बनाए रखती है।

● **शीतल पटेल**

मुख्यमंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारी का सहयोजन

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/ पं.रा./ 2020 /264 **भोपाल, दिनांक 19.04.2020**

प्रति,

कलेक्टर,
जिला समस्त,
मध्यप्रदेश।

विषय : मुख्यमंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारी का सहयोजन।

संदर्भ : म.प्र. शासन, राजस्व विभाग जारी विषयांकित योजना पत्र क्र. 517 दिनांक 17.04.2020।

राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 17.04.2020 को मुख्यमंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना के विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देश की कंडिका 3.3 में गृह, राजस्व, नगरीय प्रशासन के अतिरिक्त अन्य विभागों के उन कर्मियों को पात्र माना गया है जो कोविड–19 महामारी में सेवा के लिये राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किये गये हैं।

कोविड–19 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मी, अनुबंधित दैनिक वेतनभोगी, पंचायत के सचिव, एवं ग्राम रोजगार सहायक; कोविड–19 महामारी की रोकथाम के लिये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं, साथ ही सेनेटाईजेशन, हाथ धुलाई, फेस मॉस्क निर्माण एवं वितरण, जरूरतमंद परिवारों को भोजन व आश्रय की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों के आगमन पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण, सेम्पल लिया जाना तथा उन्हें समुचित उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाने की भी व्यवस्था की जा रही है।

अत: कोविड–19 में इनकी सक्रिय भूमिका को ध्यान में रखते हुये संदर्भित निर्देश की कंडिका 3.4 अनुसार कृपया उक्त कर्मियों को मुख्यमंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना में पात्र कर्मी घोषित करने का कष्ट करें।

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

वर्ष 2020–21 अंतर्गत संशोधित जीपीडीपी (GPDP) पोर्टल पर प्रविष्टि करने बाबत

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
भविष्य निधि कार्यालय के समीप,
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास) भोपाल
Telephone : 0755-2557727, Fax : 0755-2552899 E- Mail address- dirpanchayatmp.gov.in

क्रमांक/पं.रा./FFC/2020/4769 **भोपाल, दिनांक 30.04.2020**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
   जिला पंचायत, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
   जनपद पंचायत, म.प्र.।

विषय : वर्ष 2020–21 अंतर्गत संशोधित जीपीडीपी (GPDP) पोर्टल पर प्रविष्टि करने बाबत।

संदर्भ : विभाग का पत्र क्र. 3339 दिनांक 05.03.2020 एवं संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक M–11015/192/2019–CB Dated 27.04.2020.

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें 01 अप्रैल, 2020 से 15वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली राशि का 50% पेयजल, स्वच्छता, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, जल की रिसाइकलिंग करने संबंधी कार्य पर व्यय की जावेगी, तद्नुसार अप्रैल माह की ग्राम सभा में उपरोक्त कार्यों को सम्मिलित करते हुये संशोधित जी.पी.डी.पी. तैयार कर प्लान–प्लस पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये थे।

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय के संदर्भित पत्र के तारतम्य में उपरोक्तानुसार संशोधित जी.पी.डी.पी. कोविड–19 महामारी के कारण ग्राम सभा के स्थान पर ग्राम पंचायत के अनुमोदन से तैयार कर अपलोड की जावे तथा कार्योत्तर अनुमोदन कोविड–19 महामारी समाप्त होने के उपरांत ग्राम सभा से प्राप्त किया जावे।

ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली केंद्रीय वित्त आयोग की राशि का व्यय दिनांक 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा लोकार्पित किये गये ई–ग्राम स्वराज पोर्टल (जो कि प्लान प्लस, प्रियासॉफ्ट एवं एक्शनसॉफ्ट पोर्टल का एकीकृत पोर्टल है) के माध्यम से अनिवार्यत: किया जायेगा।

ग्राम पंचायत की उक्त मद की कार्ययोजना को ई–ग्राम स्वराज (पूर्व में प्लान प्लस) पोर्टल पर प्रविष्टि नहीं होने की स्थिति में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि को ग्राम पंचायत व्यय नहीं कर सकेगी।

अत: सावधानीपूर्वक एवं समय सीमा 31 मई 2020 तक उक्त कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें एवं प्रतिदिन 5 से 10 ग्राम पंचायतों की प्रविष्टि जनपद/क्लस्टर स्तर पर करावें। ई–ग्राम स्वराज पोर्टल संचालन/क्रियान्वयन जिला एवं जनपद पंचायत के नोडल अधिकारी नामांकित कर उनका नाम, पद एवं मोबाइल नंबर ई–मेल epanchayatmp.gov.in पर प्रेषित करें। क्रियान्वयन हेतु समय–सारणी तैयार करके नियमित मॉनीटरिंग करें एवं उपयुक्त ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करें।

(बी.एस. जामोद)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय म.प्र.

पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकीय समिति के गठन एवं खातों से राशि आहरण के संबंध में

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/205/एफ 16-5/2020/22/पं.-2/ **भोपाल, दिनांक 8.3.2020**

प्रति,

कलेक्टर
जिला-समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय : पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकीय समिति के गठन एवं खातों से राशि आहरण के संबंध में।

संदर्भ : म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक एफ 187/2020/22/पं.-2, दिनांक 07.03.2020

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 87(3)(ख) अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ग्राम पंचायतों के खातों का परिचालन एवं आहरण संवितरण सरपंचों के हस्ताक्षर से किये जाने पर पाबंदी लगाई जावे। इसी अनुक्रम में ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारु संचालन की दृष्टि से वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होने तक प्रशासकीय समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है।

अत: म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 87 की उपधारा (3) (ख) अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक प्रशासकीय समिति का गठन किया जाये। प्रशासकीय समिति में वे सब पदाधिकारी जो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ग्राम पंचायत के सदस्य रहे हैं, सदस्य बनाये जायें। ग्राम पंचायत का कार्यकाल (2015-2020) समाप्त होने के पूर्व सरपंच रहे व्यक्ति को इस प्रशासकीय समिति का प्रधान बनाया जाये। इस समिति में ऐसे 2 व्यक्ति मनोनीत किये जाएं, जिनका नाम संबंधित ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो। यह प्रशासकीय समिति मनोनीत सदस्य न होने अथवा मनोनयम के अभाव में भी कार्य करती रहेगी। प्रशासकीय समिति के प्रधान एवं ग्राम पंचायत के सचिव, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 66 एवं सुसंगत नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत के खातों से राशि का आहरण संवितरण कर सकेंगे। ग्राम पंचायतों की प्रशासकीय समिति के गठन हेतु कलेक्टर विहित प्राधिकारी होंगे।

उक्तानुसार ग्राम पंचायतों की प्रशासकीय समितियों के गठन का प्रतिवेदन तत्काल आयुक्त/संचालक पंचायत राज संचालनालय, म.प्र. को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता/-
शोभा निकुंम
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकीय समिति के गठन एवं खातों से राशि आहरण के संबंध में निर्देश जारी

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/4133/एफ 16-5/2020/22/पं.-2/ **भोपाल, दिनांक 20.3.2020**

प्रति,

कलेक्टर
जिला-समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय : पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकीय समिति के गठन एवं खातों से राशि आहरण के संबंध में।

संदर्भ : 1. मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक/205/एफ-16-5/2020/22/पं.-2 भोपाल दिनांक 08.03.2020।

2. मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक/252/एफ-16-5/2020/22/पं.-2 भोपाल, दिनांक 20.03.2020।

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-1-5/पं.ग्राविवि/2015/1625 दिनांक 19.02.2015 से प्रदेश के जनपद पंचायतों का प्रथम सम्मेलन दिनांक 25 मार्च 2015 को एवं जिला पंचायतों का प्रथम सम्मेलन दिनांक 26 मार्च 2015 को आयोजित करने के निर्देश दिये गये थे। इन निर्देशों के अनुक्रम में जिस दिनांक को आपके जिले की जिला पंचायत/जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया है। उस दिनांक से 05 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत ही संदर्भित पत्र में दिये निर्देशानुसार प्रशासकीय समिति का गठन किया जाना है।

2. प्रत्येक पंचायत को प्रशासनिक समिति, विद्यमान पंचायतों की विघटन की तारीख से या निर्वाचित पंचायत के प्रथम सम्मिलन की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, छह मास से अनधिक कालावधि के लिए उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा उपबन्धित समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी और समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगी।

3. पंचायत का सरपंच/अध्यक्ष, पंचायत के विघटन की तारीख से कारबार के संव्यवहार और उसके सम्मिलनों की अध्यक्षता करने के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक समिति का प्रमुख होगा। सरपंच/अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान पंचायत का उपसरपंच/उपाध्यक्ष सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा और कारबार का संव्यवहार करेगा, जैसी कि अपेक्षा की जाए।

4. विधानसभा के समस्त निर्वाचित सदस्य, जो पंचायत के विघटन की तारीख धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन जनपद पंचायत के सदस्य हैं, उस पंचायत क्षेत्र के लिए प्रशासकीय समिति के सदस्य होंगे।

5. संसद और विधानसभा के समस्त सदस्य, जो पंचायत के विघटन की तारीख को धारा 29 ही उपधारा (1) के अधीन जिला पंचायत के सदस्य हैं, उस पंचायत के क्षेत्र के लिए प्रशासनिक समिति के सदस्य होंगे।

6. अधिनियम की धारा 46 तथा धारा 47 के अधीन प्रत्येक स्तर पर प्रशासनिक समितियाँ, संबंधित प्रशासनिक समितियों की स्थायी समितियां समझी जाएंगी और उनकी वही सदस्यता, गठन, शक्तियाँ, कृत्य और उत्तरदायित्व होंगे जो पंचायतों के विघटन की तारीख को यथा विद्यमान हैं।

(एस.आर. चौधरी)
उप सचिव
म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत पेसा अनुसूचित क्षेत्र विशेष सहायता मद अंतर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मोबलाइजर्स/अमले की पूर्णत: अस्थायी नियुक्ति हेतु संशोधित निर्देश

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
भविष्य निधि कार्यालय के समीप
अरेरा हिल्स, (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास) भोपाल
Telephone 0755-2557727, Fax-0755-2552899, E-mail address : dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक 3881/पं.रा./RGSA/2020 **भोपाल, दिनांक 17.03.2020**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत– झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिण्डौरी, अनूपपुर, धार, खरगौन, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया एवं श्योपुर (म.प्र.)

विषय : राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत पेसा अनुसूचित क्षेत्र विशेष सहायता मद अंतर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मोबलाइजर्स/अमले की पूर्णत: अस्थायी नियुक्ति हेतु संशोधित निर्देश।

संदर्भ : संचालनालय का पत्र क्रमांक 783 दिनांक 20.01.2020

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत विशेष सहायता मद अंतर्गत क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षण की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु पेसा क्षेत्र की 5221 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 मोबलाइजर नियुक्त किये जाने के संबंध में पत्र के साथ (परिशिष्ट–अ) संलग्न कर परिशिष्ट में मोबलाइजर चयन हेतु अर्हता एवं जॉब चार्ट हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये थे।

मोबलाइजर नियुक्ति के संबंध में दिनांक 12.03.2020 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्स में नियुक्ति के संबंध में जिले से मिले फीडबैक के आधार पर निम्नानुसार स्पष्ट निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. पेसा अनुसूचित क्षेत्र जिलों की 89 जनपदों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पेसा मोबलाइजर्स की नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी रूप से कार्य आधारित 2500/– रुपये नियत मासिक प्रोत्साहन राशि पर एक वर्ष की अवधि हेतु की जानी है।
2. पेसा मोबलाइजर्स की ग्राम पंचायत में अस्थायी नियुक्ति हेतु मोबलाइजर्स की अर्हता एवं जॉबचार्ट (परिशिष्ट–अ) संशोधित कर पुन: यथा कार्यवाही हेतु संलग्न है।

विशेष यह है कि भारत शासन के निदेशानुसार दिनांक 31.03.2020 के पूर्व पेसा क्षेत्र की सभी 5221 ग्राम पंचायतों में पेसा मोबलाइजर्स की नियुक्ति की जाकर नियुक्ति की संकलित जानकारी आरजीएसए के पोर्टल www.rgsa.gov.in पर मुख्यालय स्तर से दर्ज की जानी है। अत: मोबलाइजर नियुक्ति की जानकारी दिनांक 25.03.2020 तक अनिवार्य रूप से संचालक पंचायत राज संचालनालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।

(बी.एस. जामोद)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट 'अ'

विषय – आरजीएसए योजनान्तर्गत पेसा क्षेत्र ग्राम सभा मोबलाइजर अर्हतायें एवं जॉबचार्ट

पदनाम – ग्राम सभा मोबलाइजर

'ग्राम सभा मोबलाइजर' के लिये न्यूनतम अर्हता तथा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी –

न्यूनतम अर्हताएं –

आवेदक का 10+2 का उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा साथ ही किसी मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र होना चाहिये जो कि उसी ग्राम पंचायत में प्रेरक/सीआरपी/स्वच्छताग्रही/फेसीलिटेटर/समूह प्रेरक/एनजीओ प्रेरक आदि के रूप में कार्यरत हों/निवासरत हो।

आयु सीमा – आवेदकों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिये। आयु सीमा में छूट म.प्र. शासन के जारी दिशा–निर्देशों एवं नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

पारिश्रमिक/प्रोत्साहन राशि– चयनित अभ्यार्थियों को रु. 2500/– प्रतिमाह नियत प्रोत्साहन राशि देय होगी। जो कि मोबलाइजर को प्रदत्त जॉबचार्ट/अनुबंध के अनुसार निष्पादित किये गये कार्य अनुसार होगी/कार्य आधारित होगी।

प्रशासकीय नियंत्रण– ग्राम सभा मोबलाइजर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे। इनके विरुद्ध अनुशासनिक एवं निष्कासन की कार्यवाही के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को होंगे। मोबलाइजर ग्राम पंचायत के अधीन रहकर ग्राम पंचायत में कार्यरत रहेंगे, प्रत्येक 3 माह में ग्राम पंचायत द्वारा इनके कार्यों की समीक्षा की जावेगी।

विशेष – नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी रूप से प्रेरक के रूप में होगी जो कि केवल एक वर्ष की अवधि के लिये होगी, कार्य संतोषजनक होने पर कार्य की आवश्यकता एवं परियोजना की अवधि अनुसार बढ़ाई अथवा घटाई जा सकेगी।

चयनित किये गये ग्राम सभा मोबलाइजर के जॉबचार्ट में निम्न विषयों को शामिल करना होगा –

पेसा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में पेसा अनुसूचित एक्ट के प्रावधानों के तहत ग्राम सभा आयोजन में सहयोग करना।

पेसा क्षेत्र अंतर्गत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में ग्रामीण जनता की सहभागिता कोरम के आधार पर सुनिश्चित करना।

ग्राम सभा का आयोजन शांति एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में करने हेतु समन्वयन करना।

ग्राम सभाओं की स्थायी समितियों की बैठकों के नियमितिकरण हेतु बैठक सूचना देना/मुनादि करवाना स्थान व्यवस्था करना एवं दस्तावेजीकरण करना।

जीपीडीपी निर्माण में महिला समूहों द्वारा बनाई गई 'गरीबी उन्मूलन कार्य योजना के ग्राम सभा में प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन कराने में सहयोग।'

ग्राम पंचायत में बाल हितैषी गतिविधियों के संचालन में समन्वयन।

मिशन अन्त्योदय सर्वे एवं अन्य पंचायती राज संबंधी सर्वे अंतर्गत किये जा रहे कार्यों में।

ग्राम सभा का सम्मेलन आहुत किये जाने की सूचना ग्रामवासियों को यथासमय देना।

पेसा अनुसूचित क्षेत्र की गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग करना।

ग्राम पंचायत अंतर्गत जनभागीदारी से बनाई जाने वाली 'ग्राम पंचायत विकास योजना' (जीपीडीपी) की कार्य योजना के निर्माण, पीआरए एवं बेसलाइन सर्वे में सहयोग करना।

ग्राम पंचायत अंतर्गत आयोजित होने वाले सभी शिविरों, प्रशिक्षणों एवं समस्त प्रकार की प्रचार–प्रसार गतिविधियों में प्रेरक की भूमिका निभाना।

ग्राम पंचायत अंतर्गत संचालित समस्त अभियानों जैसे ग्राम पंचायत विकास योजना जन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के समग्र स्वच्छता के कार्य एवं शौचालय निर्माण आदि हेतु वातावरण निर्माण कार्य में प्रेरक की भूमिका, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित हो रहे आवासों की गुणवत्ता एवं निरख–परख के कार्य।

केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान राशि का शत प्रतिशत उपयोग भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित Panchayat Enterprise Suite के माध्यम से करने बाबत

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/पं.रा./IT/PES/2020/3339 **भोपाल, दिनांक 05.03.2020**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत– समस्त, मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत– समस्त, मध्यप्रदेश

विषय : केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान राशि का शत प्रतिशत उपयोग भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित Panchayat Enterprise Suite के माध्यम से करने बाबत।

संदर्भ : संयुक्त सचिव भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय का अर्धशासकीय पत्र क्र. G–39011/2/2017–FD दिनांक 20.02.2020 एवं पत्र क्र. M–11015/307/2017–FD दिनांक 31.01.2020

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें ग्राम पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान एवं उसके उपयोग के संबंध में लेख किया गया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से केंद्रीय 15वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली राशि का 50 प्रतिशत पेयजल, स्वच्छता, जल संरक्षण एवं संवर्धन पर व्यय करने की अनुशंसा की गई है। चूंकि ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना 2020–21 अंतर्गत उपरोक्त कार्यों से संबंधित योजना/विभाग के कार्य नहीं लिये गये हैं, अत: सर्वप्रथम आगामी अप्रैल माह की ग्राम सभा में ग्राम की आवश्यकतानुसार इन कार्यों को सम्मिलित करते हुये संशोधित GPDP तैयार कर PlanPlus पोर्टल पर अपलोड करावें।

दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से केंद्रीय वित्त आयोग अंतर्गत GPDP में लिये गये एवं PlanPlus पोर्टल पर अपलोड कार्यों की स्वीकृति, भौतिक स्थिति आदि अनिवार्य रूप से ActionSoft पोर्टल के उपयोग द्वारा प्रारंभ करते हुये उपयंत्री एवं क्लस्टर प्रभारी के माध्यम से मॉनीटरिंग सुनिश्चित करावें। साथ ही इन कार्यों पर व्यय शत प्रतिशत PriaSoft पोर्टल से करवाना सुनिश्चित करावें। कतिपय ग्राम पंचायतों में संभव है कि तकनीकी समस्या के कारण ग्राम पंचायत PriaSoft पोर्टल का उपयोग नहीं कर सकी हो, उनका परीक्षण कर समस्या के निराकरण के लिये प्रयास करें। ग्राम पंचायतों एवं उनके सम्मिलित ग्रामों की मैपिंग LGD पोर्टल में अप–टू–डेट रखें।

अपनी अधीनस्थ जनपद एवं ग्राम पंचायतों को उपरोक्तानुसार अवगत कराते हुये तत्काल दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कोविड–19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप के दृष्टिगत त्रिस्तरीय पंचायतों से संबंधित दिशा–निर्देश

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
भविष्य निधि कार्यालय के समीप,
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल

क्रमांक/4261/पं.रा./2020/ **भोपाल, दिनांक : 09.04.2020**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचापयत – समस्त

विषय : कोविड–19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप के दृष्टिगत त्रिस्तरीय पंचायतों से संबंधित दिशा–निर्देश।

आपको विदित है कि प्रदेश कोविड–19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण की महामारी से प्रभावित है। इस महामारी को रोकने के उपाय सावधानी, सतर्कता व तत्परता से शासन के प्रत्येक स्तर पर करने की सख्त आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के स्तर पर भूमिका और दायित्व सामान्य दिनों की तुलना में और अधिक बढ़ जाते हैं।

वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकारों के साथ–साथ उक्त तीनों स्तरों की पंचायतों द्वारा बड़े पैमाने पर इस महामारी से बचाव और नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है, इसी अनुक्रम में प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं :–

1. **शासन की गाइड लाइन** : केन्द्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन व दिशा–निर्देशों के अंतर्गत ही कार्य व प्रयास किये जाना हैं।

2. **ग्राम पंचायत स्तर के प्रावधान/दायित्व :–**

2.1 म.प्र. ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम 1999 के नियम 4 (ब)(पांच) अनुसार सचिव का पदीय कर्तव्य है कि वह राहत कार्य के अधीन मंजूर किये गये कार्य के संबंध में व्यय तथा अन्य विशिष्टियों की आधारभूत जानकारी रखेगा।

नियम 4(ब) (ठठ) के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उससे संबंधित किसी अन्य निकाय द्वारा किये जा रहे सर्वेक्षण में सहयोग देगा।

नियम 4(ब) (डड) ग्राम पंचायत से रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रखेगा,

नियम 4(ब) (ढढ) राहत कार्यों में ग्राम पंचायत तथा प्रशासन को सक्रिय सहयोग देगा और प्राकृतिक आपदाओं विपत्ति के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को राहत दिलवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगा,

3. **जनपद पंचायत स्तर के प्रावधान/दायित्व :–**

3.1 म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 50(1)(ख) अनुसार महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में आपातिक सहायता की व्यवस्था करना जनपद पंचायत के कृत्य के रूप में प्रावधानित किया गया है।

4. **जिला पंचायत स्तर के प्रावधान/दायित्व :–**

4.1 म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 52(1)(तीन) के अनुसार जनपद पंचायतों के तथा ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों के समन्वय, मूल्यांकन, मॉनिटर करना और उनका मार्गदर्शन करना

4.2 धारा 52(1)(छः) अनुसार केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अंतरित किये गये या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों, सकर्मो, स्कीमों तथा परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना,

4.3 धारा 52(1)(सात) अनुसार अंतरित किये गये कृत्यों, संकर्मों, स्कीमों तथा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नियत मापदण्डों के अनुसार जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को पुनः आवंटित करना,

4.4 धारा 52(1)(चौदह) अनुसार ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जायें या सौंपे जावे।

5. त्रिस्तरीय पंचायतों की भागीदारी :–

5.1 कोविड–19 (कोरोना) के प्रकोप एवं संक्रमण से बचाव के प्रयासों हेतु पंचायतों के तीनों स्तरों की भागीदारी सुनिश्चित की जावें।

5.2 जागरूकता एवं जानकारी :–

- त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रत्येक सदस्य व पदाधिकारी को बीमारी से बचाव एवं रोकथाम की सही एवं पूर्ण जानकारी रखना होगी, ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में सही जानकारी दी जा सके।
- बीमारी की रोकथाम में मदद हेतु जारी किये गये स्वास्थ्य सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों तथा जनपद एवं जिले के नोडल अधिकारियों के दूरभाष नम्बर रखना।
- ग्राम स्तर पर इस बीमारी से बचाव एवं रोकथाम के लिये उचित माध्यमों का प्रयोग कर लोगों को जागरूक करने एवं बीमारी से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाना एवं पालन सुनिश्चित करना।
- शासन के आदेश–निर्देशों की जानकारी लोगों के बीच प्रसारित करना।
- अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी।

आवश्यक पाबंदी लगाना :–

- यह बीमारी ड्रापलेट से फैलती है, इसलिए किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक आयोजनों को जिनमें भीड़ जमा होती है शासन के आदेशों के अनुसार नियंत्रित किया जावे तथा कोरोना वायरस से बचाव हेतु समस्त समुचित उपाय किये जावें।
- गांवों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। दुकानों पर (Social Distance) का पालन किया जावे।
- गांवों में जगह–जगह चौपालों पर लोगों के जमा होने पर रोक लगाते हुये लोगों को अपने–अपने घरों में रहने के निर्देश दिये जावें।
- कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से गांव एवं घर से बाहर न निकले।

5.4 सामुदायिक सेवाओं के उपयोग हेतु की जाने वाली व्यवस्था :

इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

- उचित मूल्य की दुकान, किराना दुकान, सब्जी की दुकान, हेंडपम्प आदि का उपयोग करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्था बनाना एवं इसकी निगरानी करना। दुकानों पर सेनिटाइजर अथवा साबुन व पानी की व्यवस्था करना।
- सामुदायिक सेवा स्थलों और लोगों के बीच दूरी बनाकर रखने के लिए एक–एक मीटर से अधिक की दूरी पर चूना या चॉक से गोल घेरे बनाने का प्रयोग भी किया जा सकता है।
- प्रत्येक व्यक्ति उपयोग से पहले हेंडपम्प के हेंडिल आदि को साबुन पानी से धोए इस बात की निगरानी करना और इसके लिए हेंडपम्प के पास साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

5.5 अन्य राज्यों से लौटकर आये लोगों की व्यवस्थाः–

इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे –

- अन्य राज्यों से गांव लौटने वाले सभी नागरिकों की पूर्ण जानकारी एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करना तथा इनकी मेडिकल जांच सुनिश्चित करना।
- यदि बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की जांच नहीं हुई है तो उसकी सूचना तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/जनपद एवं जिला नोडल अधिकारियों को देना।
- बाहर से आए व्यक्ति को राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कोरेन्टाईन के लिए स्कूल, आंगनवाड़ी भवनों में व्यवस्था बनाना।
- यदि किसी व्यक्ति में सर्दी, सूखी खांसी, तेज बुखार के लक्षण दिखायी दें तो ऐसे व्यक्ति का इलाज सुनिश्चित करना और इन्हें भी 14 दिन तक अलग रहने की व्यवस्था बनाना।
- स्कूल, आंगनवाड़ी भवनों में अलग रखे गए लोगों के बिस्तर, बर्तन, खाना, तौलिया, साबुन, पानी आदि की व्यवस्था करना।
- अलग रखे गये व्यक्तियों के लिए शौचालय, साबुन से हाथ धोने हेतु साबुन व पानी की व्यवस्था तथा परिसर की सफाई जरूरी है।

5.6 आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाना :–

इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

- इस दौरान गांव में आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, दाल, तेल मसाले, बीमार व्यक्तियों के लिए दवा आदि की उपलब्धता बनी रहे, इसकी लगातार निगरानी करना और व्यवस्था बनाना।
- गांव के भूमिहीन अति गरीब, मजदूरी पर आश्रित, महिला मुखिया, विकलांग परिवारों की सूची तैयार करना तथा उचित मूल्य की दुकान तथा सामुदायिक सहयोग से इन परिवारों को यह आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना।
- स्थानीय आवश्यकता व परिस्थिति तथा राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों–निर्देशों को दृष्टि में रखते हुए इसके अतिरिक्त भी कार्य किए जा सकते हैं, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सहायता व सुविधा के साथ खेती किसानी के कार्य को भी ध्यान में रखते हुए कुछ जिम्मेदारियां पंचायत को निभानी पड़ सकती हैं, जिसके बारे में अपनी सीमाओं में वे स्वयं तय कर सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में ''सामाजिक दूरी'' के दिशा–निर्देशों का पालन जरूरी है।

6. व्यक्तिगत स्वच्छता :–

व्यक्तिगत स्वच्छता एक आवश्यक व्यवहार है तथा इसके अनुपालन हेतु कुछ आवश्यक नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है जैसे –

- जो कोई कर्मी भोजन बनाने, भण्डारण, वितरण की प्रक्रिया से जुड़े हैं, उन्हें अपने हाथों को साबुन व पानी से कम से कम 20 (बीस) सेकेण्ड धोना है।
- इन अवसरों पर आवश्यक रूप से हाथ धोना जरूरी है :–
- खाद्य सामग्री बाहर से लाने के पश्चात
- खाद्य सामग्री को छूने के पश्चात विशेषतः सब्जी आदि
- खाना बनाने के पहले व खाने के दौरान
- भोजन परोसने/वितरण करने से पहले
- भोजन पैक करने अथवा बची सामग्री को स्टोर में रखने के बाद
- सुनिश्चित करें कि भोजन पकाने का स्थान, भण्डारण का स्थान तथा बर्तन साफ हों।
- किचन तथा खाना बनाने के स्थान की सफाई प्रतिदिन हर बार भोजन बनाने के पहले की जाए।
- एक स्थान निर्धारित कर लें जहां ठोस अवशेष (Solid Waste) जैसे कि बची हुई/बेकार सब्जियों का निस्तारण पशुओं को खाने के लिए अथवा उचित उपशिष्ट प्रबन्धन किया जा सके, इसी प्रकार अवशेष पानी को भी सोक पिट में बहाया जा सके।
- यह भी सुनिश्चित करें कि साबुन से हाथ धोने तथा कीटाणुशोधन हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो।
- भोजन तैयार करते समय अपने सिर को ढंक कर रखें।

7. ग्राम कोष :–

7.1 म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 7 ञ (1) के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा एक निधि स्थापित करेगी जो निम्नलिखित चार भागों से मिलकर ग्राम कोष कहलाएगा–
(एक) अन्न कोष, (दो) श्रम कोष, (तीन) वस्तु कोष, (चार) नगद कोष
उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत म.प्र. ग्राम सभा (ग्राम कोष का संधारण) नियम 2005 भी बनाये गये हैं।
उपरोक्त प्रावधान/नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही/सहायता की जावे।
कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का यथाशीघ्र पालन सुनिश्चित किया जाए।
(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(बी.एस. जामोद)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 09.04.2020

पृ. क्रमांक/4262/पं.रा./2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त (समस्त) म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला (समस्त) म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.